विशेषाधिकार समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

5

पाँचवाँ प्रतिवेदन

(एक) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण, अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 07 नवंबर, 2019 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे; और

(दो) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने और उनके विरूद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में उन्हें 'रिमांड' के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने की कोशिश करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना/शिकायत/ईमेल।

*[16 मार्च, 2023 को अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया]*
*[24 मार्च, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया]*

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

अभिप्रमाणित

सभापति
विशेषाधिकार समिति

विशेषाधिकार समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

पाँचवाँ प्रतिवेदन

(एक) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण, अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव, और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 07 नवंबर, 2019 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे; और

(दो) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने और उनके विरूद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध मे उन्हें 'रिमांड' के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने की कोशिश करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना/शिकायत/ईमेल।

*[16...मार्च.., 2023 को अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया]*
*[24....मार्च.., 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया]*

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
.मार्च, 2023/ चैत्र , 1944 (शक)

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| विशेषाधिकार समिति की संरचना ..... | |
| प्रतिवेदन ..... | 1 |
| समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ..... | 51 |
| परिशिष्ट - एक ..... | 63 |
| परिशिष्ट - दो ..... | 65 |
| परिशिष्ट-तीन ..... | 70 |
| परिशिष्ट-चार ..... | 74 |

## विशेषाधिकार समिति के कार्मिक
## (2022-2023)

**श्री सुनील कुमार सिंह – *सभापति***

**सदस्य**

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री राजू बिष्ट
5. श्री दिलीप घोष
6. श्री चंद्र प्रकाश जोशी
7. श्री नारणभाई भीखाभाई काछडिया
8. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
9. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिम्बालकर
10. श्री तलारी रंगैय्या
11. श्री राजीव प्रताप रूडी
12. श्री अच्युतानंद सामंत
13. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
14. श्री गणेश सिंह
15. रिक्त

**सचिवालय**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री पी.सी. त्रिपाठी | -- | *संयुक्त सचिव* |
| 2 | श्री राजू श्रीवास्तव | -- | *निदेशक* |
| 3. | श्री बाला गुरु जी | -- | *उप सचिव* |
| 4. | डॉ फैज अहमद | -- | *अवर सचिव* |

# विशेषाधिकार समिति का पाँचवाँ प्रतिवेदन
## (सत्रहवीं लोक सभा)

**एक. प्रस्तावना और प्रक्रिया**

मैं, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, दो सूचनाओं अर्थात् श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण; अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 07 नवंबर, 2019 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे तथा श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने और उनके विरूद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध मे उन्हें 'रिमांड' के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने की कोशिश करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना/शिकायत/ईमेल से संबंधित यह पाँचवाँ प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत करता हूं।

2. पहले विशेषाधिकार के मामले अर्थात श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण; अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 07 नवंबर, 2019 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे, के संबंध में समिति ने तीन बैठकें की। इन बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं और इसके साथ संलग्न हैं।

3. समिति ने 28 अगस्त, 2020 को हुई अपनी बैठक में इस विषय से संबंधित ज्ञापन पर विचार किया और श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य भी लिया।

4. समिति ने 12 फरवरी, 2021 को हुई अपनी दूसरी बैठक में श्री सत्यनारायण, तत्कालीन प्रभारी पुलिस आयुक्त को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया।

5. समिति ने 29 जून, 2021 को हुई अपनी तीसरी बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और कुछ विचार-विमर्श के पश्चात इसे स्वीकार किया। इसके बाद, समिति ने सभापति को प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत करने और तत्पश्चात, इसे सभा पटल पर

रखने के लिए प्राधिकृत किया। तथापि, एक ही सदस्य के द्वारा उसी पुलिस अधिकारी अर्थात् श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना के विरूद्ध दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दी गई एक अन्य सूचना/शिकायत/ईमेल प्राप्त होने को ध्यान में रखते हुए विशेषाधिकार के दोनों मामलों को मिलाकर एक व्यापक प्रतिवेदन तैयार करने के विचार से प्रतिवेदन को वापस ले लिया गया था।

**श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण; अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव, और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 07 नवंबर, 2019 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे।**

**दो. मामले के तथ्य**

6. श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, ने दिनांक 07 नवंबर, 2019 की सूचना के द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण, करीमनगर, पुलिस आयुक्तालय, अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव (एआर डिपार्टमेन्ट कमांडेंट), श्री नागैय्या (एआर एसीपी), पुलिस इंसपेक्टर, श्री अंजैय्या (एमटीओ) और अन्य अज्ञात पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कथित रूप से उन पर उस समय घातक हमला करने, जब वह तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) ड्राईवर (स्वर्गीय नागुनुरी बाबू) के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे, के लिए उनके विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

7. सदस्य ने बताया कि मीडिया के साथ हुई एक बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव ने कहा कि भविष्य में कोई आरटीसी (सड़क परिवहन निगम) नहीं होगा, इसलिए, सभी वर्तमान कर्मचारी स्वतः बर्खास्त हो गए। आरटीसी कामगारों द्वारा इन बातों को गंभीरता से लिया गया, जिन्हें मानसिक तनाव हुआ और आरटीसी के एक ड्राईवर श्री नागुनुरी बाबू को दिल का दौरा पड़ा और अंततः उसकी और 21 अन्य की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। इन लोगों की मृत्यु ने इनके परिवारों को बहुत प्रभावित किया था। घटनाओं के बारे में और विस्तार से बताते हुए सदस्य ने बताया कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग 50,000 थी, जिन्होंने एक संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) का गठन किया था और तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार नहीं करने के कारण 05.10.2019 से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया था। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने उस हड़ताल के दौरान टीएसआरटीसी-जेएसी के तत्वाधान में, एलबी नगर हैदराबाद स्थित सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में एक बैठक आयोजित की। उक्त बैठक के दौरान, सड़क परिवहन निगम के एक ड्राईवर नामतः श्री नागुनुरी बाबू को दिल का घातक दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। सदस्य ने आरोप लगाया है कि जब वह

मृतक के घर पहुंचे और रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि क्रिया करने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जब अंतिम संस्कार क्रिया प्रारंभ हुई तो वहां पर तैनात पुलिस बल ने इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की।

8. माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03 मार्च, 2020 के अपने आदेश के द्वारा इस मामले को जांच, अन्वेषण अथवा इस पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।

## तीन. साक्ष्य

### (क) श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य का साक्ष्य

9. श्री बंदी संजय कुमार ने 28 अगस्त, 2020 को समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बताया:-

*"महोदय, 01.11.2019 को श्री सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त; जो रामागुंडम के पुलिस आयुक्त भी हैं; श्री संजीव, एआर अपर उपायुक्त; श्री नागैय्या एआर, सहायक पुलिस आयुक्त, श्री अंजैय्या, पुलिस इंसपेक्टर ने यह जानते हुए भी कि मैं एक संसद सदस्य हूं, मुझे निशाना बनाया और गालियां दी। उन्होंने मुझे गाली दी, मुझे रोकने की कोशिश की, मेरा कॉलर पकड़ा और दाहिने जबड़े पर मारा। उन्होंने यह जानने के पश्चात भी कि मैं लोगों द्वारा निर्वाचित एक संसद सदस्य हूं, जानबूझकर मेरा अपमान किया। यह मेरे अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास है। मैं, लोगों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं और मैं गरीब लोगों के अधिकारों और न्याय के लिए उनके समर्थन में खड़ा था। मैं, वहां न्याय के लिए संघर्ष कर रहे गरीब लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें समर्थन देने के लिए था। लेकिन, मुझे संसद सदस्य के रूप में लोगों की सेवा करने से रोका गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चन्द्रशेखर राव ने कहा कि सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) का निजीकरण कर दिया जाएगा क्योंकि तेलंगाना में आरटीसी का कोई भविष्य नहीं है। लगभग 50000 परिवार आरटीसी पर निर्भर हैं। उन सभी लोगों ने नौकरी जाने के डर से आरटीसी के निजीकरण का विरोध करने के लिए विभिन्न आंदोलन किए। उन्होंने एक संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) बनाई जिसने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा। दिल का दौरा पड़ने और आत्महत्या के कारण लगभग 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस संबंध में, जेएसी द्वारा सरूर नगर, हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी। श्री नागुनुरू बाबू, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमनगर से हैं, आरटीसी में*

*अधिकारों की रक्षा करने के मेरे प्रयास में मेरे विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ। आज, मैंने न्याय के लिए विशेषाधिकार समिति से संपर्क किया। संसद का निर्वाचित सदस्य होने के नाते, यदि मुझे आने वाले दिनों में न्याय नहीं मिलता है, तो पूरे देश में संसद सदस्यों का अपमान किया जाएगा। मेरा अपमान करना संसद का अपमान करने, संसद के सभी सदस्यों का अपमान करने और संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के समान है। चूंकि, इस तरह की गतिविधियों का भविष्य में खतरनाक परिणाम हो सकता है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसका संज्ञान लें। मैंने उस सार्वजनिक सभा में 50,000 परिवारों के भविष्य की रक्षा करने के लिए भाग लिया था। यद्यपि वहां कई राजनीतिक नेता थे, परंतु मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन पुलिस अधिकारियों का व्यवहार, मेरे विशेषाधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए, मैं, आपसे उन अधिकारियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।"*

10. यह पूछे जाने पर कि उकसावे का क्या कारण था, और पुलिस ने उनका कॉलर क्यों खींचा तथा उन्हें क्यों घसीटा और क्या उन्होंने या लोगों ने पुलिस के साथ दुव्यर्वहार किया अथवा हिंसा की अथवा पुलिस के साथ ऐसा कुछ किया, सदस्य ने निम्नवत बताया:-

*"महोदय, मैं, आरटीसी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहा था। यद्यपि, पुलिस अधिकारी वहां तैनात थे, योजना के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए गए। इन पुलिस अधिकारियों को 'बंदोबस्त' के नाम पर अन्य जिलों से लाया गया था। श्री संजीव, अपर पुलिस उपायुक्त एआर ने मुझे गाली दी। श्री नागैय्या, सहायक पुलिस आयुक्त एआर ने मेरे दाहिने जबड़े पर मारा। श्री अंजैय्या ने मेरे लिए असभ्य भाषा का प्रयोग किया। श्री सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त भी मुझे गाली दे रहे थे और अन्य अधिकारियों को उकसा रहे थे। वे सभी राज्य सरकार के आदेश पर कार्य कर रहे थे। यह राज्य सरकार द्वारा किया गया पूर्व नियोजित हमला है, क्योंकि वे मृतक आरटीसी कंडक्टर के पार्थिव शरीर को सीधे श्मशान ले जाना चाहते थे। सरकार ने मृतक के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचना नहीं दी थी। वे सभी पार्थिव शरीर का दर्शन करना चाहते थे और मैं अन्य राजनेताओं के साथ पूरी रात उनके समर्थन में खड़ा था। अगले दिन, परिवार के सदस्य उस आरटीसी कर्मचारी के पार्थिव शरीर को बस स्टैंड ले जाना चाहते थे, जहां मृतक ने कई वर्षों तक कार्य किया था, ताकि अन्य लोग श्रद्धांजलि दे सकें। वहां से, परिवार के सदस्य पार्थिव शरीर को श्मशान ले जाना चाहते थे। सभी राजनीतिक दलों, जेएसी ने यह निर्णय लिया था और एक संसद सदस्य के तौर पर मैं उनके समर्थन में खड़ा था। पुलिस, पार्थिव शरीर को परिवार के सदस्यों की अनुमति के बिना जबरन श्मशान ले जाना चाहती थी। चूंकि, मैं पार्थिव शरीर के पास खड़ा था, मैंने पुलिस से परिवार के सदस्यों को पार्थिव शरीर को बस स्टैंड ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।*

कंडक्टर के रूप में कार्य करते थे, वे भी उस सार्वजनिक बैठक में भाग लेने वहां गए। हृदयाघात के पश्चात वे उसी स्थान पर गिर गए और निजी अस्पताल में ले जाने के दो घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने मृतक के परिवार के सदस्यों को उनका पार्थिव शरीर देने के बदले पुलिस बल की सहायता से अंत्येष्टि स्थल पर ले जाने का प्रयास किया। जब मुझे यह सूचना मिली, संसद सदस्य होने के नाते मैंने उस व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश की, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है, और मैंने उसके परिवार की सहायता की। जेएसी के सदस्य और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उस परिवार के समर्थन में पूरी रात खड़े रहे। अगले दिन, जब हम नजदीकी श्मशान घाट में पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि करना चाहते थे, राज्य सरकार ने परिवार के सदस्यों के अलावा, अन्य लोगों को अंत्येष्टि क्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए अन्य जिलों से और पुलिस बल बुला लिया। जब पुलिस जेएसी के सदस्यों, दोस्तों और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को अंत्येष्टि क्रिया में भाग लेने से रोक रही थी, मैंने आपत्ति जताई और पुलिस अधिकारियों से प्रश्न किया। श्री सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री संजीव, अपर उपायुक्त एआर, श्री नागैय्या, सहायक पुलिस आयुक्त एआर, श्री अंजैय्या, पुलिस इंसपेक्टर और कुछ अन्य ने मुझे गाली दी, मेरा कॉलर पकड़ लिया और मेरे दाहिने जबड़े पर मारा। यह जानने के पश्चात भी कि मैं एक संसद सदस्य हूं, उन्होंने मुझे वह परिसर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन, जब मैंने गरीब परिवार के साथ हो रहे अन्याय पर चिंता प्रकट की तो उन्होंने यह कहकर मुझे गाली दी कि उस गरीब परिवार की ओर से प्रश्न पूछने वाला मैं होता कौन हूं। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे वह स्थान छोड़ने की धमकी दी। आम जनता और अन्य नेताओं सहित कई देखने वाले लोगों ने पुलिस को मेरे संसद सदस्य होने की बात बताई। लेकिन आयुक्त और अन्य ने मुझे गाली दी और असभ्य तरीके से मुझ पर हमला किया। श्री संजीव, अपर उपायुक्त ने यहां तक कहा कि `आप केवल एक सांसद हैं, मैं अपर पुलिस उपायुक्त हूं और राज्य सरकार मुझे वेतन देती है।` इस तरह उन्होंने यह जानते हुए भी कि मैं एक निर्वाचित संसद सदस्य हूं, मुझ पर हमला किया। मैं वहां आरटीसी कामगारों, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, के समर्थन में संसद सदस्य के रूप में था। मैं वहां अकेला नहीं था, पार्टी संबद्धता से इतर नेतागण, आरटीसी कर्मचारियों के समर्थन में थे। किसी अन्य नेता को नहीं रोका गया अथवा उन पर हमला नहीं किया गया; उन्होंने यह जानते हुए कि मैं एक संसद सदस्य हूं, जानबूझकर मुझ पर हमला किया और मुझे लोगों की सेवा करने से रोका। यह मेरे विरूद्ध झूठा मामला बनाकर मुझे लोगों से दूर करने का प्रयास है। मेरे साथ हुए व्यवहार से लोग चकित हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि, 'यदि एक संसद सदस्य के साथ ऐसा दुव्यर्वहार होता है, तो सरकार और पुलिस किस प्रकार आमलोगों की रक्षा करेगी?' मेरा जो अनादर हुआ वह संसद का अपमान है, जोकि लोकतंत्र का मंदिर है और यह संसद के सदस्यों का भी अपमान है। लोगों की सेवा करने से रोकना मेरे संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। लोगों के

*एमआरपीएस नेता श्री मंडा कृष्णा मडीगा, भी वहां थे। हम पुलिस से अनुरोध कर रहे थे, लेकिन, उन्होंने यह जानने के पश्चात भी कि मैं एक संसद सदस्य हूं, मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे उकसाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उनके उकसावे में नहीं आया और अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा और मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। मैंने उन्हें किसी भी तरह से नहीं उकसाया। उन्होंने ही हम पर हमला किया।"*

11. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने पुलिस (सरकारी सेवक) को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से रोका अथवा सरकारी सेवक को पार्थिव शरीर को श्मशान ले जाने से रोका, सदस्य ने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"अंत्येष्टि क्रिया करना परिवार के सदस्यों का विवेकाधिकार होना चाहिए। उन्होंने पार्थिव शरीर को आरटीसी बस स्टैंड ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन, परिवार के इन सदस्यों को पार्थिव शरीर को श्मशान तक भी नहीं ले जाने दिया गया। पुलिस बल जो सादे कपड़ों में थे, उन्होंने पार्थिव शरीर ले जाने की कोशिश की। हमने पुलिस को समझाने की कोशिश की। सुरक्षा देने के लिए पुलिस वहां रह सकती है, लेकिन, वे पार्थिव शरीर को ले जाकर, परिवार के सदस्यों की भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने परिवार के सदस्यों की मदद और पुलिस तथा परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। कर्त्तव्य के नाम पर, पुलिस बल ने मेरा कॉलर पकड़ कर, दाहिने जबड़े पर मार कर और मुझे भद्दी-भद्दी गालियां देकर मुझ पर शारीरिक प्रहार किया।"*

12. यह पूछे जाने पर कि उनका संसदीय कार्य किस प्रकार बाधित हुआ और क्या उन्होंने आपराधिक न्यायालय में कोई मामला दर्ज कराया अथवा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, श्री बंदी संजय कुमार ने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"महोदय, सर्वप्रथम, मैं उस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और स्वर्गीय बाबू ने चुनाव में भाग लिया होगा। मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने वोट दिया अथवा नहीं। लेकिन एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे किसी भी परिवार की सहायता करना मेरा कर्तव्य है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जिसके साथ अन्याय हुआ है, और मैं संसद सदस्य के रूप में इस कर्त्तव्य का निर्वहन करता हूं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हो सकते हैं, लेकिन अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के कारण, सरकार के अत्याचारों से उस गरीब परिवार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं, वहां उस परिवार का समर्थन करने और उनमें आत्मविश्वास जागृत करने के लिए गया था। संसद*

*सदस्य के रूप में, यह मेरा कर्त्तव्य है। पार्टी के नेता के रूप में, मैं विरोध कर सकता हूं, लेकिन उस दिन, मैं वहां संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। मैं, वहां पार्टी के नेता के रूप में उपस्थित नहीं था। अन्य लोग थे, जो वहां राजनीतिक दल के नेता के रूप में उपस्थित थे। मैं, वहां संसद सदस्य के रूप में गया था और उन पुलिस अधिकारियों को यह ज्ञात था कि मैं एक संसद सदस्य हूं। लेकिन, उन्होंने दूसरों को शांत करने के लिए जानबूझकर मुझ पर हमला किया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मुझ पर हमला किया ताकि मैं भविष्य में भी कहीं जाने की हिम्मत नहीं करूं। आपके दूसरे प्रशन के उत्तर में, मै यह बताना चाहता हूं कि उस घटना के पश्चात, मैंने उन्हीं प्रभारी आयुक्त से शिकायत की और हमला करने के उस मामले की जांच करने का अनुरोध किया। मैंने, उनसे अपनी शिकायत पर कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया। मैंने इस मामले की शिकायत किसी न्यायालय में नहीं की। एक संसद सदस्य के रूप में, मैंने न्याय पाने के लिए विशेषाधिकार समिति से संपर्क किया। मैंने न्यायालय जाने के बारे में नहीं सोचा। चूंकि, यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है, मैं महसूस करता हूं कि मुझे विशेषाधिकार समिति से न्याय मिल सकता है।"*

**(ख) श्री वी. सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त, करीमनगर का साक्ष्य**

13. समिति के समक्ष 12 फरवरी, 2021 को अपने साक्ष्य के दौरान, श्री सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना ने निम्नवत बताया:-

*"तेलंगाना में, 05.10.2019 को आरटीसी (सड़क परिवहन निगम) कर्मियों की जेएसी (संयुक्त कार्य समिति) द्वारा आरटीसी में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई थी। पूरे तेलंगाना में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी। सभी बसें खड़ी थीं। हैदराबाद के सरूर नगर में 30.10.2019 को एक बैठक आयोजित गई थी, जो कि आरटीसी हड़ताल का 26वां दिन था। उस बैठक के दौरान, करीमनगर-II के एक आरटीसी ड्राईवर श्री एन. बाबू को दिल का घातक दौरा पड़ा और तत्काल उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। दुर्भाग्यवश, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। पार्थिव शरीर को 31.10.2019 की सुबह उनके पैतृक स्थान लाया गया जोकि करीमनगर के बाहरी इलाके में था। आरटीसी यूनियन के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां आ रहे थे। श्री बंदी संजय, करीमनगर संसदीय क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य 31.10.2019 को लगभग 9.30 बजे अपने दल के कार्यकर्त्ताओं के साथ वहां पहुंचे। पहले तो, उन्होंने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी और सरकार को कुछ मांगें सौंपी कि सरकार को वहां तुरंत आना चाहिए, क्योंकि यह एक भावनात्मक मुद्दा है, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और कई लोग सड़क पर हैं। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए सरकार के सामने*

कुछ शर्तें रखी। शुरूआत में, जिस स्थान पर पार्थिव शरीर को लाया गया था, परिवार के सदस्य वहीं और उसी दिन अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन माननीय सदस्य तथा विभिन्न यूनियन और वाम दलों के समर्थन के कारण परिवार के सदस्य सरकार से कुछ सहायता पाने के लिए उनके साथ जाना चाहते थे। कुछ समय पश्चात, उम्मीदें समाप्त हो रही थीं। प्रारंभ में, पार्थिव शरीर को बक्से में नहीं रखा गया था, इस कारण से पार्थिव शरीर 31 अक्तूबर से ही अपघटित होने लगा। लेकिन, माननीय संसद सदस्य के वहां पहुंचने और भावनात्मक भाषण देने के पश्चात, कई लोग वहां इकट्ठे हो गए, उनके दल के कार्यकर्त्ता और उनके अनुयायी भी इकट्ठे हो गए, और उन्होंने उसी दिन पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। स्थिति बहुत संवेदनशील हो रही थी क्योंकि पार्थिव शरीर अपघटित हो रहा था, पूरे राज्य में सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि करीमनगर में क्या होने वाला है। उस समय, आयुक्त वहां नहीं थे, क्योंकि वे छुट्टी पर थे। इसलिए, मुझे प्रभारी बनाया गया था। इसलिए, मैंने महिला कांस्टेबल और महिला अधिकारियों के साथ दो दिनों के लिए दिन-रात पर्याप्त 'बंदोबस्त' किया। माननीय सदस्य और उनके समर्थक किसी को भी पार्थिव शरीर के पास नहीं आने दे रहे थे। दो दिनों के बाद, परिवार के सदस्यों ने निर्णय लिया कि चूंकि, सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, और उम्मीदें समाप्त हो रही थी, उन्होंने उसी दिन अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने आरटीसी, राजस्व और पुलिस के अधिकारियों को भी कुछ संदेश दिया। तत्पश्चात, सभी लोग बात करने लगे, लेकिन माननीय संसद सदस्य श्री बंदी संजय गरू जी और उनके कार्यकर्त्ता एसडीएम या रेवेन्यू डिविजनल अधिकारी (आरडीओ) या डिपो मैनेजर या पुलिस आधिकारियों को वहां नहीं जाने दे रहे थे। माननीय संसद सदस्य ने एक बहुत ही भावनात्मक और जोरदार भाषण दिया कि वे इस पार्थिव शरीर को शहर के प्रमुख केंद्र पर ले जाएंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता है, चाहे वह पुलिस हो अथवा सरकार। उन्होंने यह उल्लेख करते हुए कुछ उकसावे वाले बयान दिए कि चाहे जो हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, उस समय, उनके वक्तव्य से इतर, परिवार के सदस्य और आरटीसी यूनियन कह रही थी कि पार्थिव शरीर में सूजन आ गया है; उसमें बहुत अपघटन हो रहा है; और इससे बहुत बदबू आ रही है, जो परिवार के लोगों के लिए शुभ नहीं था। इसलिए, उन्होंने पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाने का निर्णय किया। माननीय सांसद महोदय और उनके अनुयायी उनके पार्थिव शरीर को छह किलोमीटर दूर शहर के अंदर ले जाना चाहते थे। उसी दिन करीब 3.30 बजे शव यात्रा शुरू हुई। परिवार के सदस्य और यूनियन के नेता शव को श्मशान घाट ले जाना चाहते थे, लेकिन माननीय सांसद, महोदय और युवा तथा उनके अनुयायी बहुत आक्रामक और भावुक थे और शव को शहर के अंदर ले जाना चाहते थे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने परिवार के सदस्यों की मदद की; और किसी भी कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के

लिए, उस जुलूस को परिवार के सदस्यों द्वारा मांगी गई अनुमति के अनुसार श्मशान घाट की ओर बढ़ने दिया। उस समय, माननीय सांसद महोदय और उनके अनुयायी बहुत हिंसक और आक्रामक हो गए, और पुलिस को धक्का देना शुरू कर दिया क्योंकि वे शव को शहर ले जाने पर अड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने बैरिकेड्स हटा दिए, जिससे भगदड़ मच गई। उस समय माननीय सांसद महोदय और उनके अनुयायी उस स्थान की ओर आ रहे थे जहां भगदड़ हो रही थी। हमने उन्हें रोका क्योंकि वह बहुत खतरनाक जगह थी क्योंकि बहुत सारे लोग गिर रहे थे और चोटिल हो रहे थे। इसलिए, हमने माननीय सांसद महोदय से अनुरोध किया कि वे हट जाएं क्योंकि वहां भगदड़ हो रही थी। तब भी सांसद महोदय काफी आक्रामक थे। फिर हमने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आक्रामक भीड़ को रोका। माननीय सांसद महोदय को उनकी रक्षा के लिए किनारे आने के लिए कहा गया।कुछ देर बाद समर्थक और युवा कार्यकर्ता विशेष रूप से युवा और आरटीसी के कामगार बहुत हिंसक हो गए और पुलिस को गाली देने लगे और चप्पल फेंकने लगे, लेकिन हमने अत्यधिक संयम बरता।वहां कई जनप्रतिनिधि, यानी अन्य विधायक और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। उस समय वहां कुछ नहीं हुआ। शव अंतिम संस्कार के लिए चला गया। सांसद और उनके अनुयायियों ने शहर में जाकर सड़क पर धरना दिया. इसी बीच एक चैनल में कुछ तस्वीरें प्रसारित की गईं कि माननीय सांसद को किनारे ले जाते समय और उन्हें भगदड़ से बचाने और आक्रामक भीड़भाड़ वाले इलाके से बचाने के दौरान, कुछ फोटोग्राफरों को इधर-उधर हाथ हिलाते हुए दिखाया गया। माननीय सांसद ने यह सोचा होगा कि पुलिस आक्रामक है, लेकिन सांसद को आक्रामक भीड़ की ओर जाने से रोकने के लिए, माननीय सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए और साथ ही, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और, कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए, हमने भीड़ को रोक दिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखी। तस्वीरें देखने के बाद, माननीय सांसद और अन्य अनुयायी आयुक्त के कार्यालय में गए और दीवार पर चढ़ गए, एडिशनल डीसीपी ने उन्हें दीवार पर न चढ़ने के लिए कहा और बताया कि प्रभारी आयुक्त आएंगे, फिर, वे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तब माननीय सांसद थोड़े भावुक और बहुत आक्रामक हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे; हम विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे, हम मामले को माननीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखेंगे और आवेदन दिया... यदि हमने रोकथाम का काम नहीं किया होता तो स्थिति बहुत खराब हो जाती और बहुत हिंसा और दंगे होते। इसलिए, हमने और कुछ नहीं किया है। माननीय सांसद महोदय भीड़ से घिरे हुए थे और जैसाकि दम घुटने के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, खुद प्रभारी आयुक्त के रूप में मैंने उन्हें भीड़ से हटा दिया, उन्हें सांस लेने के लिए कुछ ऑक्सीजन दी और आगे उन्हें अपनी पानी की बोतल से कुछ पानी भी दिया। हम माननीय सांसद के विशेषाधिकारों को जानते हैं। हमने कुछ नहीं किया है; केवल कानून-

*व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हमने कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब होने से बचाने के लिए ये कदम उठाए हैं।"*

14. यह पूछे जाने पर कि माननीय सदस्य के लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई, उन्होंने निम्नवत कहा:-

*"हमने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घर और आसपास के इलाकों में 15 से अधिक अधिकारियों और 300 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया है।"*

15. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि सदस्य को मृतक का अंतिम संस्कार करने से रोका गया था और वहां मौजूद अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मारा था, उन्होंने निम्नवत बताया:-

*"महोदय, माननीय सांसद ने जो भी आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह से असत्य हैं क्योंकि हमने उन्हें ड्राइवर के अंतिम संस्कार में शामिल होने से नहीं रोका। दरअसल, हम पूरे जुलूस को श्मशान घाट भेजना चाहते थे लेकिन माननीय सांसद जुलूस को दाईं ओर ले गए जहां यह रास्ता करीमनगर शहर की ओर जाता है। दूसरी बात, माननीय सांसद जो भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा है, वह सही नहीं है। हम माननीय सांसद के विशेषाधिकार और स्थिति को जानते हैं। हमने उन्हें आक्रामक और हिंसक भीड़ से बचाया। हम उन्हें किनारे ले गए लेकिन किसी ने उन्हें थप्पड़ नहीं मारा और किसी ने उन पर अभद्रता से हाथ नहीं डाला। हमने जो कुछ भी किया है वह एक वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। मेरे पास एक वीडियो सीडी भी है जिसे मैं आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत करूंगा।"*

16. वीडियो सीडी का प्रमाणित संस्करण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, उन्होंने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि उनके पास मीडिया द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज हैं। बाद में, उन्होंने सीडी पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को प्रमाणित किया।

17. जब उनसे मृतक के परिवार के सदस्यों को अनुमति नहीं देने, जिससे इस तरह की घटना घटी, की तथ्यात्मक स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया:-

*"नहीं महोदय, यह सही नहीं है। हमने परिवार के सदस्यों को संस्कार करने में मदद की। कई*

*लोगों के अंतिम संस्कार करने से रोकने के कारण शव बुरी तरह सड़ चुका था, परिवार के सदस्यों ने पुलिस को संदेश भेजा, फिर हमने लोगों से बातचीत की। हमने श्मशान घाट में सारी व्यवस्था की और परिवार के सदस्यों को श्मशान घाट तक पहुंचाया। परिवार के सदस्यों ने भी मीडिया और अन्य लोगों के सामने, उस सहायता के बारे में बयान दिया जो पुलिस ने उन्हें दी।"*

18. सदस्य पर हमले की सच्चाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने निम्नवत बताया:-

*"महोदय, यह सही नहीं है। हम माननीय सांसद की स्थिति और विशेषाधिकारों को जानते हैं। हम जानते हैं कि वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उस मुद्दे को जनता तक ले जाने के लिए उन्होंने दो दिनों तक जो भी प्रयास किया, वह बहुत भावुक और आक्रामक हैं, इसके बावजूद, हम जानते हैं कि वह करीमनगर के माननीय सांसद हैं, हमने यह करने की कोशिश नहीं की। केवल उन्हें बचाने के लिए और उन्हें अनियंत्रित, हिंसक और आक्रामक भीड़ से बचाने के लिए, उस व्यक्ति ने माननीय सांसद को भगदड़ वाले क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए बस पकड़ लिया। एक फुटेज है जिसमें उनकी शर्ट पर हाथ था लेकिन यह जानबूझकर या किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से नहीं था। उस फुटेज से ही यह पता चलता है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों ने उनसे बहुत ही पेशेवर तरीके से व्यवहार किया है।"*

19. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि सचिवालय द्वारा अनुस्मारक के बावजूद इस मामले में तथ्यात्मक नोट काफी देर से प्रस्तुत किया गया था और यह समिति और सदन की अवमानना के समान है, उन्होंने निम्नवत बताया:-

*" महोदय, मुझे बहुत खेद है, मुझे केवल दो दिनों के लिए उस आयुक्तालय का प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद मैं अपने मूल स्थान पर आ गया और वहां रामागुंडम-2 जिलों के आयुक्त के रूप में सेवा कर रहा था। मेरी जानकारी के अनुसार, वर्तमान सीपी और इसकी जांच करने वाली समिति की सभी रिपोर्टें लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और माननीय सचिवालय को भी भेजी जा रही हैं। मैं केवल दो दिनों के लिए इसका प्रभारी था। उसके बाद वर्तमान सीपी इसकी देखरेख कर रहे हैं। अगर इसमें देरी हो रही है, तो मुझे बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे बहुत जल्दी किया जाना चाहिए। हम सचिवालय के विशेषाधिकारों को जानते हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समिति के साथ नोट्स तैयार करने, पड़ोसियों, यूनियन के नेताओं, समुदाय के बुजुर्ग लोगों से जानकारी प्राप्त करने में हम बहुत सतर्क हैं। अगर इसमें देरी हुई है, तो मुझे बहुत खेद है, महोदया।"*

20. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सदस्य को दिवंगत चालक को अंतिम श्रद्धांजलि देने से रोका है, उन्होंने निम्नवत बताया: -

*"नहीं महोदय, यह बिल्कुल असत्य है। शव के परिजनों के पास पहुंचने के बाद माननीय सांसद शव के पास गए। 9:30 बजे से अंतिम संस्कार तक यानी दो दिनों तक माननीय सांसद शव के पास ही रहे। हमने उन्हें उस घर में जाने से नहीं रोका। वे लगातार अपने अनुयायियों के साथ वहां मौजूद थे। शवयात्रा के दौरान भी हमने उन्हें श्मशान घाट जाने से नहीं रोका। वे शवयात्रा को छह किलोमीटर दूर मुख्य शहर की ओर मोड़ना चाहते थे। अगर हम उस क्षत-विक्षत शव की शवयात्रा को शहर ले जाने देते, तो कानून-व्यवस्था की स्थिति और खराब हो जाती। हमने उन्हें अंतिम संस्कार में जाने से नहीं रोका। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं जो शव के पास मौजूद थे, में से एक भी व्यक्ति अंतिम संस्कार में नहीं गया। वे केवल सरकार पर दबाव बनाने के लिए शव को शहर ले जाना चाहते थे। श्मशान घाट पर सिर्फ परिवार के सदस्य, बुजुर्ग और पड़ोसी ही गए। हमने किसी को अंतिम संस्कार में जाने से नहीं रोका।"*

21. यह पूछे जाने पर कि क्या शवयात्रा का मार्ग पहले से तय किया गया था और क्या उन्होंने देखा कि सदस्य को थप्पड़ मारा गया था और उनसे मारपीट की गई थी, जब वे शव को आरटीसी बस डिपो में ले जाने के लिए उकसा रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया:-

*"मैं उस जगह पर मौजूद था। मार्ग परिवार के सदस्यों द्वारा तय किया गया था और वे शवयात्रा को अंतिम संस्कार के लिए निकटतम श्मशान घाट में ले जा रहे थे। जंक्शन पर, एक मोड़ है जो शहर की ओर जाता है, जहां माननीय सांसद और उनके अनुयायी शवयात्रा को शहर में ले जाना चाहते थे। हाथापाई हुई। मैं वहां मौजूद था। किसी भी पुलिस अधिकारी ने उन पर वार नहीं किया या उन्हें थप्पड़ नहीं मारा। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए केवल कुछ धक्का-मुक्की की गई।"*

22. जब सदस्य का कॉलर पकड़ने की मंशा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया:-

*"महोदय, मैं माननीय सदस्य के सामने एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि आप उस सीडी को देख सकते हैं जो हमारे पुलिस महानिदेशक द्वारा माननीय सचिव को पहले ही भेजी जा चुकी है, वह यह कि स्लो मोशन पूरी सीडी में भगदड़ वाले क्षेत्र की ओर आक्रामक रूप से आ*

*रही भीड़ को रोकते हुए अकस्मात ऐसा हुआ। लेकिन यह जानबूझकर नहीं है। यह बहुत आकस्मिक है। यह नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही गलत बात है। लेकिन भीड़ के समय हमारे लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आप सीडी का अवलोकन कर सकते हैं ताकि माननीय सदस्य को यह पता चल जाए कि क्या पुलिस अधिकारियों के हाव-भाव जानबूझ कर किए गए हैं।"*

23. यह पूछे जाने पर कि क्या परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया, उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"वास्तव में, हमारे लोगों को भीड़ ने शव के पास नहीं जाने दिया। लेकिन, मैं माननीय सदस्य के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों ने उस क्षेत्र में जाने का फैसला किया। तब तक वे मीडिया के सामने भी कुछ बयान दे चुके थे। मैं निवेदन करूंगा; मैं वर्तमान आयुक्त से परामर्श करूंगा और उसे माननीय समिति के समक्ष पेश करूंगा।"*

**श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त और करीमनगर के तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 03 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना/शिकायत/ई-मेल जिसमें उन्होंने अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने तथा उनके विरुद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में 'रिमांड' में लेने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है।**

24. इसके बाद समिति ने दूसरे/बाद वाले विशेषाधिकार के मामले, अर्थात श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, द्वारा श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त और करीमनगर के तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 03 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना/शिकायत/ई-मेल जिसमें उन्होंने अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने तथा उनके विरुद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में 'रिमांड' लेने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया है, को लिया।

25. समिति ने उक्त दूसरे/बाद के विशेषाधिकार मामले में चार बैठकें कीं। इन बैठकों के संबंधित कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं, और इसके साथ संलग्न हैं।

26. समिति ने 21 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इस विषय से संबंधित ज्ञापन पर विचार किया और श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य भी लिया।

27. समिति ने 03 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में श्री वी. सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त; श्री रवि गुप्ता, प्रधान सचिव (गृह); सहायक पुलिस आयुक्त, श्री श्रीनिवास अतुला तथा श्री आर. प्रकाश; और श्री लक्ष्मी बाबू, पुलिस निरीक्षक को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया।

28. समिति ने 15 जून, 2022 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में श्री विकास राज, पूर्व प्रधान सचिव, कानून-व्यवस्था, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री वी. सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना, श्री कोटला वेंकट रेड्डी, श्री के. श्रीनिवास, श्री वी. श्रीनिवास के. रामचन्द्र और श्री चल्लामल्ला नतेश राव को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया।

29. समिति ने 10 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में दोनों सूचनाओं/शिकायतों से संबंधित व्यापक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और कुछ विचार-विमर्श के पश्चात इसे स्वीकार किया। इसके बाद, समिति ने सभापति को प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत करने और तत्पश्चात, इसे सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

## चार. मामले के तथ्य

30. श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य ने माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को संबोधित दिनांक 03 जनवरी, 2022 को अनुवर्ती/दूसरी सूचना/शिकायत/ई-मेल के द्वारा कथित आरोप लगाया था कि श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त और करीमनगर के तीन अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार कर लिया तथा उनके विरुद्ध कथित रूप से झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में 'रिमांड' लेने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने का प्रयास करते रहे हैं। विस्तार से बताते हुए, माननीय सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया था कि वह पार्टी के कार्यक्रम के भाग के रूप में वह जी.ओ. संख्या 317 को रद्द करने की मांग को लेकर जागरण पर बैठे थे, जो पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के हित के विरुद्ध है। करीमनगर स्थित अपने कार्यालय में कोविड-19 मानदंडों का पालन करते हुए, उन्होंने 2 जनवरी, 2022 को करीमनगर में अपने संसदीय कार्यालय में कार्यक्रम करने से संबंधित सूचना शाम लगभग 7.30 बजे पुलिस को दी। उनके साथ उनकी पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद थे।

31. पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण शाम करीब साढ़े सात बजे बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ उनके कार्यालय पहुंचे। इंस्पेक्टर और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस आयुक्त ने उनके कार्यालय में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की क्योंकि कार्यालय अंदर से बंद था। वे लोहे की ग्रिल काटने के लिए गैस कटर लाए और पुलिस ने जबरन प्रवेश किया और उन्हें धक्का दिया, उनकी शर्ट पकड़कर खींच लिया जब वह पुलिस आयुक्त का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका कॉलर पकड़ लिया और उन्हें खींचने की कोशिश की। इस बीच उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन्हें गाली और धमकी दी गई तथा पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

32. सदस्य द्वारा यह भी बताया गया था कि एक संसद सदस्य के रूप में, उसके पास कुछ 'अधिकार' और 'विशेषाधिकार' हैं, और उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके विशेषाधिकारों का सम्मान करना पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। तथापि, पुलिस अधिकारियों नामतः श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, श्री प्रकाश जगित्याल, एसीपी, श्री श्रीनिवास राव, एसीपी, करीमनगर, श्री लक्ष्मी बाबू, इंस्पेक्टर, करीमनगर पुलिस स्टेशन की कार्रवाई जिन्होंने उन्हें जबरदस्ती उठाया और पुलिस वाहन के अंदर फेंक दिया और उन्हें मनकोंदुर पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उन्हें अवैध रूप से कैद करके रखा गया था, इससे संसद सदस्य के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यह कि पुलिस ने न तो उन्हें गिरफ्तारी का कारण बताया और न ही पुलिस स्टेशन में उसके साथ उचित व्यवहार किया। उन्हें बताया गया कि उनके विरुद्ध दो मुकदमे दर्ज हैं, जो झूठे हैं और दोनों मामले गैर जमानती हैं। पुलिस ने कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने के बजाय उन्हें रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया।

33. इसलिए, सदस्य ने करीमनगर, तेलंगाना के उक्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

34. प्रक्रिया के अनुसार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से एक 'तथ्यात्मक टिप्पण' माँगा गया था, और गृह मंत्रालय ने दिनांक 6 जनवरी, 2022 के ओ.एम. के द्वारा तेलंगाना सरकार से एक 'तथ्यात्मक प्रतिवेदन' अग्रेषित किया था, जिसमें तेलंगाना सरकार (डीजीपी) ने निम्नवत बताया है:-

> *"(एक) यह निवेदन है कि 22 माह से अधिक समय से कोविड महामारी चल रही है, और महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार और तेलंगाना सरकार द्वारा कई चरणों में लॉकडाउन सहित कई प्रतिबंध लगाए गए थे। अकेले*

तेलंगाना राज्य में ही अब तक 6.82 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 4030 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हाल ही में तेलंगाना समेत दुनिया भर में ओमिक्रॉन नाम से एक नया स्ट्रेन फैल गया है। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर, भारत सरकार ने अपने दिनांक 21.12.2021 और 27.12.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के आदेश, दिनांक 25.12.2021 के जी.ओ. संख्या 327 और दिनांक 01.01.2022 के जी.ओ. संख्या 1 के द्वारा तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय और तेलंगाना सरकार के आदेश के द्वारा वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ एहतियाती उपाय किए गए थे और पूरे राज्य में निम्नलिखित कार्यकलापों पर सख्त प्रतिबंध था (एक) रैलियां (दो) जनसभाएं (तीन) धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित सभी प्रकार की सामूहिक सभाएं;

(दो) यह भी निवेदन है कि 02.01.2022 को श्री बंदी संजय कुमार, करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेलंगाना सरकार द्वारा जारी जीओ. एमएस नंबर 317 में संशोधन की मांग को लेकर 2.1.2022 को शाम 7.30 बजे से 3.1.2022 को सुबह 5 बजे तक चैतन्यपुरी, करीमनगर, तेलंगाना राज्य में स्थित उनके पार्टी कार्यालय के पास अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सार्वजनिक मार्ग पर जागरण दीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। यह शासनादेश गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.08.2018 के द्वारा जारी नए राष्ट्रपति आदेश के मद्देनजर विभिन्न राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके स्थानीय, क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्रीय संवर्गों के आवंटन से संबंधित है। तेलंगाना सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिसमें रैलियों, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद, श्री बंदी संजय कुमार ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से उक्त कार्यक्रम में भारी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। सोशल मीडिया, प्रेस और संचार के अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार किया गया। माननीय सांसद के आह्वान पर पार्टी के नेताओं व

कार्यकर्ताओं द्वारा कई इंतजाम किए गए थे, जिसमें तंबू, शामियाना, मंच, जन उद्घोषणा प्रणाली आदि लगाना शामिल था;

(तीन) भाजपा नेताओं द्वारा 'जागरण दीक्षा' के लिए किए गए आह्वान के बारे में पता चलने पर पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गंगादी कृष्णा रेड्डी को जब वह भाजपा पार्टी-सह-एम.पी. कार्यालय में थे, करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद श्री बंदी संजय कुमार को संबोधित एक लिखित नोटिस दिया जिसमे यह सूचित किया गया था कि कार्यक्रम का आयोजन तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2022 के जी.ओ.एम.एस. संख्या 1 द्वारा जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन था, जो दिनांक 10.01.2022 तक प्रभावी रहेगा। तथापि, आयोजकों ने पुलिस के लिखित नोटिस को नजरअंदाज कर दिया और कार्यक्रम जारी रखने का फैसला किया तथा सैकड़ों समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

(चार) कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों द्वारा की गई तैयारियों और उस स्थान पर सार्वजनिक सभा करने के बारे में जानने के बाद, करीमनगर के पुलिस आयुक्त ने एसीपी, करीमनगर टाउन और श्री वी. श्रीनिवास, इंस्पेक्टर, हुजूराबाद सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को किसी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु अनुदेश दिए। ऐसे में अन्य पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ एसीपी, करीमनगर टाउन कार्यक्रम स्थल पर गए। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि श्री बंदी संजय कुमार ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए जागरण दीक्षा करने का फैसला किया था और अपने सैकड़ों समर्थकों को इकट्ठा कर एक विधि-विरुद्ध भीड़ इकट्ठा कर ली थी। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहां से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही लोग वहां से निकले। इसके बाद पुलिस के पास जमा हुए लोगों को हिरासत में लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस प्रक्रिया के दौरान कार्यक्रम में शामिल होने आए करीब (60) लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया गया। इस

संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 188, 341 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (ख) के अधीन अपराध संख्या 1/2022 के अंतर्गत II टाउन पुलिस स्टेशन, करीमनगर में पंजीकृत किया गया है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(क) के तहत नोटिस जारी किया गया (प्राथमिकी की प्रति संलग्न है)।

(पांच) जिस समय कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए लोगों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय माननीय संसद सदस्य अपनी सुरक्षा को छोड़कर अपने समर्थकों के साथ एक मोटर साइकिल पर कार्यालय आए और अपने 30-40 समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में घुस गए। वह पार्टी कार्यालय में बैठ गए, उसे अंदर से बंद कर दिया और अपने सेल फोन पर विभिन्न भाजपा नेताओं और कार्यालय के अंदर अन्य नेताओं के माध्यम से, जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए फोन करना शुरू कर दिया। अचानक कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोग आते देखे गए।

(छह) इस दौरान, पुलिस अधिकारियों ने बार-बार सहयोग करने और सरकार के आदेशों और तेलंगाना राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। लेकिन श्री बंदी संजय कुमार, करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद और उनके समर्थकों ने पुलिस की सलाह और अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया। भीड़ ने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और उन्हें डंडों और कुर्सियों आदि से पीट-पीटकर घायल कर दिया, इस प्रकार उन्हें अपने वैध कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया। अनियंत्रित भीड़ के हमले के दौरान श्री वी. श्रीनिवास, इंस्पेक्टर हुजूराबाद, श्री वेंकट रेड्डी, हुजूराबाद एसीपी, श्री रामचन्द्र, पुलिस इंस्पेक्टर, जम्मीकुंटा, श्री के. श्रीनिवास, सीसीएस एसीपी और आरआई सुरेश को चोटें आई हैं। आरोपियों ने कार्यक्रम स्थल के पास खड़ी टीएस 09 पीए 3738 नंबर की पुलिस वैन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

(सात) पुलिस आयुक्त, करीमनगर और घटनास्थल पर मौजूद अन्य अधिकारियों द्वारा श्री बंदी संजय कुमार, माननीय, संसद सदस्य और उनके समर्थकों से बार-बार अपील करने के बावजूद, उन्होंने पुलिस की अपील को नज़रअंदाज़ कर दिया और पूरे राज्य से बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को आने के लिए उकसाते रहे, और उनके आह्वान के उत्तर में पार्टी के कैडर बड़ी संख्या में आने लगे, जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन और कोविड-19 वायरस के बड़े पैमाने पर प्रसार की संभावना बन गई। पुलिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय का दरवाजा तोड़कर श्री बंदी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के लिए विवश होना पड़ा।

(आठ) एसीपी करीमनगर टाउन और अन्य पुलिस अधिकारी दरवाजा तोड़कर भाजपा कार्यालय के अंदर गए और माननीय सांसद सहित आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया, और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की।

(नौ) घायल पुलिस निरीक्षक श्री वी. श्रीनिवास ने एक शिकायत दी और जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 188, 341, 332, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (ख), और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन, करीमनगर-II टाउन में अपराध संख्या 2/2022 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। (एफआईआर की प्रति संलग्न है)। दिनांक: 02-01-2022 के सी. संख्या 2/डी2/सीसीआरबी/केएनआर/2022 के द्वारा मामले की जांच एसीपी, करीमनगर टाउन को सौंपी गई और जांच के दौरान, आई.ओ. ने शिकायतकर्ता श्री वी. श्रीनिवास, पुलिस निरीक्षक, हुजूराबाद और अन्य गवाहों की जांच की, उनके बयान दर्ज किए और घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, करीमनगर भेजा। यह भी देखा गया है कि

हमले के दौरान श्री के. श्रीनिवास, एसीपी सीसीएस, करीमनगर की हड्डी टूट गई है। प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर, एफआईआर संख्या 2/2022 में शामिल कानून की मौजूदा धाराओं में धारा 333 आईपीसी को जोड़ा गया है। गंभीर रूप से घायल हुए श्री के. श्रीनिवास सहित घायल पुलिस कर्मियों की चिकित्सा रिपोर्ट अवलोकन के लिए संलग्न है।

(दस) गिरफ्तार अभियुक्तों को दिनांक 03.01.2022 को माननीय न्यायालय करीमनगर के समक्ष पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और तदनुसार उन्हें जिला कारागार, करीमनगर में रखा गया।

(ग्यारह) यह निवेदन है कि माननीय संसद सदस्य श्री बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी की सूचना महासचिव, लोक सभा एवं यथा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों को दे दी गई है।

(बारह) यह निवेदन है कि श्री बंदी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य, करीमनगर सहित आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करते समय श्री सत्यनारायण, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, करीमनगर ने भाजपा कार्यालय में प्रवेश नहीं किया और वास्तव में वे अपने अधीनस्थों को उपयुक्त निर्देश देकर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए माननीय संसद सदस्य के कार्यालय के बाहर से स्थिति की निगरानी कर रहे थे। इसलिए, यह कहना गलत है कि उन्होंने माननीय संसद सदस्य की कमीज पकड़कर उन्हें खींचा। यह आरोप लगाना भी गलत है कि उन्होंने माननीय संसद सदस्य को गाली और धमकी दी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अभ्यावेदन के साथ संलग्न तस्वीरें स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पुलिस आयुक्त, करीमनगर माननीय संसद सदस्य को गिरफ्तार करने या खींचने में न तो शारीरिक रूप से शामिल थे और न ही उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया।

(तेरह) पूछताछ के दौरान यह सामने आया है कि माननीय संसद सदस्य सहित आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करते समय पुलिस कर्मियों ने अधिकतम संयम बरता, यद्यपि माननीय संसद सदस्य के अनुयायी पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने किसी भी तरह से माननीय संसद सदस्य के विशेषाधिकारों और अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया और सख्ती से कानून के अनुसार कार्य किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद, माननीय संसद सदस्य को मनकोंदुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उनके साथ अत्यंत गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। अवैध रूप से बंदी बनाने और गिरफ्तारी के आधार न बताने के आरोप झूठे और निराधार हैं और माननीय संसद सदस्य की गिरफ्तारी के आधार की जानकारी उनको दे दी गई थी। माननीय संसद सदस्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 188, 341, 332, 333 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (ख) और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के अधीन पुलिस स्टेशन, करीमनगर-II टाउन की अपराध संख्या 2/2022 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और कानून की विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय संसद सदस्य को गिरफ्तार करते समय श्री आर. प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक जगतियाल, जगतियाल अनुमंडल, श्री नतेश, पुलिस निरीक्षक, I टाउन सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने कार्यालय परिसर में प्रवेश किया, जैसा कि अभ्यावेदन के साथ संलग्न तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वास्तव में, अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए गुस्से और हताशा के मूड में, माननीय संसद सदस्य ने अपने सामने पास की मेज पर अपना सिर मारकर खुद को घायल करने का प्रयास किया, जिसे श्री आर. प्रकाश, डीएसपी द्वारा माननीय संसद सदस्य की ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर समय पर रोका गया। (वीडियो क्लिपिंग संलग्न)।

(चौदह) उपरोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि माननीय संसद सदस्य, करीमनगर को गिरफ्तार करते समय पुलिस ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया है और कभी भी किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार नहीं

*किया जिससे माननीय संसद सदस्य के विशेषाधिकारों और अधिकारों का उल्लंघन होता हो, और चूंकि माननीय संसद सदस्य और उनके समर्थकों के कार्यकलापों से कानून और व्यवस्था, शांति भंग होने, और कोविड संक्रमण फैलने की स्थिति उत्पन्न हुई, पुलिस को अन्य लोगों के साथ माननीय संसद सदस्य को गिरफ्तार करने और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए विवश होना पड़ा।"*

35. इस मामले में विसंगतियों को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने 10 जनवरी, 2022 को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले को आगे की जांच, अन्वेषण और इस पर प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया।

**पांच. साक्ष्य**

**(एक) बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य का साक्ष्य**

36. समिति के समक्ष 21 जनवरी, 2022 को अपने साक्ष्य के दौरान, श्री बंदी संजय कुमार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत बताया:-

*"महोदय, समिति के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। तेलंगाना सरकार द्वारा जारी जी.ओ. संख्या 317 में संशोधन की मांग को लेकर मैंने 2 जनवरी, 2022 को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करीमनगर स्थित कार्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्ण 'जागरण' किया। उस दिन, करीमनगर के पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण, एसीपी हुजूराबाद श्री कोटला वेंकट रेड्डी, जम्मी कुंटा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, श्री कोम्मिनेनी राम चंद्र राव, हुजूराबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री वी. श्रीनिवास, एसीपी (सीसीएस) करीमनगर, श्री के. श्रीनिवास, करीमनगर-I टाउन पुलिस इंस्पेक्टर श्री चल्लामल्ला नतेश ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मुझसे इस प्रकार दुर्व्यवहार किया जो मेरे अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने मुझ पर अमानवीय तरीके से हमला किया और मुझे अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय ने बताया है कि मेरी गिरफ्तारी*

अवैध थी और 5 जनवरी, 2022 को मेरी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। तदनुसार, मुझे 5 जनवरी, 2022 को जेल से रिहा कर दिया गया। दिनांक 2 जनवरी, 2022 को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मुझे 5 जनवरी, 2022 को रिहा कर दिया गया था। मैं इस घटना के बारे में कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2018 में मूल निवास स्थान (नेटिविटी) के संबंध में जारी किए गए आदेशों के विपरीत, तेलंगाना सरकार कर्मचारियों को आवंटित करते समय मूल निवास स्थान पर विचार नहीं कर रही है। इस संबंध में, तेलंगाना सरकार ने 6 दिसंबर, 2021 को जी.ओ. संख्या 317 जारी किया। इन आदेशों के अनुसार, कर्मचारियों और शिक्षकों को नवगठित जिलों में कार्य करना होगा। तेलंगाना सरकार द्वारा जारी जी.ओ. संख्या 317 माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों की भावना के विपरीत है। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों और शिक्षकों को अपना मूल निवास स्थान खोने का खतरा है। यह कार्रवाई से उनके परिवारों को परेशानी में डाल देगी और इसके परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति हो सकती है। जी.ओ. संख्या 317 के अनुसार, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक एक विशेष जिले में स्थायी रूप से पदस्थापित किया जाएगा, जिसके कारण उनके बच्चे मूल निवास स्थान खो सकते हैं। इससे कर्मचारियों और शिक्षकों को तनाव हुआ। हमने मूल निवास स्थान के आधार पर अलग तेलंगाना राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। तेलंगाना को हासिल करने के लिए कई लोगों ने कुर्बानी दी। तेलंगाना आंदोलन में करीब 1200 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी। जी.ओ. संख्या 317 जारी करने से कई कर्मचारियों का मूल निवास स्थान खतरे में है। मूल निवास स्थान के आधार पर बने राज्य में वरिष्ठता के नाम पर कर्मचारियों का आवंटन करते समय उसकी उपेक्षा की जा रही है। जी.ओ. संख्या 317 के कारण कई विसंगतियां हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच मतभेद हैं। हालांकि, माननीय राष्ट्रपति ने 2018 में आदेश पारित किया है, तेलंगाना सरकार ने कई दिनों तक इस पर कार्रवाई नहीं की और अचानक उन्होंने 6 दिसंबर, 2021 को जल्दबाजी में यह जीओ जारी किया। विकल्प और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इस जी ओ के तहत विधवाओं, पति-पत्नी और चिकित्सा उपचार करवाने वालों के लिए कोई विकल्प नहीं हैं। यह स्थानीय और गैर-स्थानीय मुद्दों को भी बढ़ा रहा है। पति - पत्नी और पति- पत्नी से इतर लोगों, वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच झगड़ों के मामले हैं। यहां तक कि शारीरिक

रूप से विकलांग कर्मचारियों को भी समस्याएं आ रही हैं। इस संदर्भ में, लगभग 10 शिक्षकों/कर्मचारियों की स्वास्थ्य समस्याओं या आत्महत्याओं के कारण मृत्यु हो गई। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हम राज्य के माननीय राज्यपाल से पहले भी मिल चुके हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी स्थिति से अवगत कराया। हम शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। फिर भी, तेलंगाना सरकार ने इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं किया। इसलिए, राज्य भाजपा इकाई ने 2 जनवरी, 2022 को शाम 7 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक करीमनगर के मेरे संसदीय क्षेत्र के कार्यालय में जागरण का सहारा लेकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 'जागरण' की तैयारी की और पुलिस अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने हमारे 'जागरण' पर आपत्ति नहीं जताई। हमने शाम 7 बजे मेरे कार्यालय में 'जागरण' शुरू किया। शाम लगभग 7.30 बजे, पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण कई पुलिसकर्मियों के साथ, जो बिना बैज के थे, मेरे कार्यालय परिसर पहुंचे। उन्होंने हमारे कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। लेकिन हमने खुद को कार्यालय के अंदर बंद कर लिया और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिर भी पुलिसकर्मियों ने गैस कटर का उपयोग कर जबरन मेरे कार्यालय में घुसने की कोशिश की। मेरे कार्यालय का ताला तोड़ दिया गया। दरवाजे और लोहे के गेट गैस कटर से बर्बाद कर दिए गए। उन्होंने मुझ पर और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती पानी छिड़कने के लिए खिड़की से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अंत में, पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण के पर्यवेक्षण में, मेरे कार्यालय का ताला तोड़ा गया और पुलिस कर्मियों ने मुझे गाली दी और जबरन मुझे ले गए। उन्होंने मुझे अपनी पुलिस वैन में धकेल दिया और उस रात मुझे पास के मनकोंडुरु पुलिस स्टेशन ले गएमुझे उस थाने में पूरी रात ठंड में हिरासत में रखा गया। मैं अपनी रक्षा नहीं कर सका, जब पुलिस कर्मियों ने मुझे जबरन गिरफ्तार कर लिया।मेरी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की।चूंकि नाम का कोई बैज नहीं था, मैंने गलती से इस सम्मानित समिति को जगित्याल एसीपी श्री प्रकाश, करीमनगर पुलिस निरीक्षक, श्री लक्ष्मण बाबू के नाम बता दिए। तस्वीरों की जांच के बाद मैंने गलती सुधारी और अब जिन अधिकारियों के नाम मैंने शुरुआत में बताए थे, वही मैंने बाद में समिति को सौंपे।उस रात मुझे मनकोंडुरु पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद, मेरे कार्यालय को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मेरे कार्यालय के कंप्यूटरों से सीसीटीवी फुटेज,डेटा और फाइलें पुलिस ले गई। यहां तक कि मेरे परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों को भी एक दिन मेरे कार्यालय में नहीं जाने दिया गया क्योंकि पुलिस ने वहां

खोजबीन की और डेटा ले लिया। हालांकि, वे जानते थे कि मैं एक संसद सदस्य हूं, उन्होंने मुझ पर क्रूरता से हमला किया और इस तरह का व्यवहार किया जो मेरे अधिकारों का उल्लंघन करता है। पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण, हुजूराबाद एसीपी श्री कोटला वेंकट रेड्डी, जम्मीकुंटा पुलिस निरीक्षक, श्री राम चंदर राव, हुजूराबाद पुलिस निरीक्षक श्री श्रीनिवास, करीमनगर एसीपी (सीसीएस) श्री श्रीनिवास, करीमनगर वन के टाउन इंस्पेक्टर श्री चल्ला नतेश, पुलिस अधिकारियों और दूसरे जिलों के कर्मियों के साथ मुझ पर हमला किया। इस संदर्भ में, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर, 2019 को उन्हीं पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण ने यह जानने के बाद भी कि मैं एक संसद सदस्य हूँ, मुझ पर हमला किया। 7 नवंबर, 2019 को मैंने इस मामले की शिकायत माननीय लोक सभा अध्यक्ष से की। मैंने इस सम्मानित समिति के समक्ष साक्ष्य देकर पिछली घटना की भी व्याख्या की थी। मैंने अपनी मानसिक पीड़ा और मेरे साथ हुए अन्याय को व्यक्त किया। उस घटना में भी मुझ पर हमला करने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बिना बैज के लाया गया था।वही अधिकारी (सीपी) एक बार फिर मुझ पर हमला करने के लिए बिना बैज वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को ले आए, ताकि मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें पहचान न सकें और उनके खिलाफ शिकायत न कर सकें।पूर्व में की गई शिकायत पर की -गई -कार्रवाई की कोई जानकारी मुझे नहीं है। अब उन्हीं अधिकारियों ने एक बार फिर मुझ पर हमला किया। पिछले मामले में, जब मैं आरटीसी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था, तब मुझ पर हमला किया गया था, जब तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जारी बयान के कारण लगभग 21 आरटीसी कर्मचारियों की जान चली गई थी।जब मैं एक आरटीसी कर्मचारी के अंतिम संस्कार में भाग ले रहा था, उसी अधिकारी के नेतृत्व में मुझ पर हमला किया गया। यद्यपि उस अधिकारी को पता था कि मैं एक संसद सदस्य हूं, फिर भी उन्होंने मेरे अधिकारों का हनन करने की कोशिश की। अब, एक बार फिर उन्हीं अधिकारियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। एक संसद सदस्य के रूप में, मुझे तेलंगाना में न्याय नहीं मिल रहा है, मुझ पर बार-बार हमला किया गया।अपनी रक्षा के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने के बाद भी वे सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। पुलिस तेलंगाना सरकार के नियंत्रण में है, और मैं जनता द्वारा निर्वाचित संसद सदस्य हूं, फिर भी मुझे तेलंगाना में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए सरकार के पास ले जाना चाहता हूं, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास तेलंगाना में सरकार से सवाल करने का कोई अवसर

*नहीं है। संसद सदस्य के रूप में, तेलंगाना के लोगों की सेवा करने का कोई अवसर नहीं है। एक संसद सदस्य के रूप में, मैं तेलंगाना में वह भी मेरे अपने कार्यालय में सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्ण विरोध का सहारा नहीं ले सकता। सभी माननीय सदस्य स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक संसद सदस्य को शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं, समिति से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि हमारे देश में कहीं और संसद के अन्य सदस्यों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो। मैं, समिति से लोगों द्वारा निर्वाचित संसद सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। 2 जनवरी, 2022 को मुझ पर हमला हुआ और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, 3 जनवरी, 2022 को मैंने माननीय लोक सभा अध्यक्ष से शिकायत की। मैंने 8 जनवरी, 2022 को माननीय गृह मंत्री से भी शिकायत की। हमने तेलंगाना के माननीय राज्यपाल से शिकायत की। इसलिए, मैं इस मामले में न्याय के अनुरोध के साथ माननीय समिति के समक्ष निवेदन करता हूं।"*

37. समिति द्वारा यह बताए जाने पर कि वह किसी विधायी/संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, बल्कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल थे और उस आधार के बारे में पूछे जाने पर जिसके कारण उन्होंने अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन का दावा किया था, सदस्य ने निम्नवत बताया:-

*"मैं जनता द्वारा निर्वाचित संसद सदस्य हूं। जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हमें इस समिति से संपर्क करना चाहिए और इस समिति ने इस संबंध में नियम बनाए हैं। इस संदर्भ में, कहना है कि जब मैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्ण 'जागरण' कर रहा था, तो बिना किसी चेतावनी के गैस कटिंग मशीनों का उपयोग करके मेरे कार्यालय को नष्ट कर दिया गया, खिड़कियों के माध्यम से हम पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर मेरे साथ गाली-गलौज की गई और जबरन पुलिस वैन में धकेला गया। हार्ड डिस्क और फाइलें ले ली गईं मुझे पूरी ठंडी रात में मनकोंडुरु पुलिस स्टेशन में रखा गया। ये सभी कार्य मेरे अधिकारों का उल्लंघन हैं, और इसलिए, मैंने न्याय के लिए इस समिति से संपर्क किया। चूंकि मुझे यह अवसर मिला है, मैं आज इस समिति के समक्ष उपस्थित हूं।"*

38. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने प्राथमिकी या पुलिस कार्रवाई को किसी अदालत में चुनौती दी है, उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"महोदय, इस मामले में मेरे वकीलों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मेरी गिरफ्तारी अवैध थी और मुझे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। मैं समिति को न्यायालय के आदेशों की प्रति उपलब्ध कराऊंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने 5 तारीख को मेरी रिहाई का आदेश दिया और मुझे तुरंत रिहा कर दिया गया।"*

39. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें कोविड प्रबंधन से संबंधित निदेशों के उल्लंघन के संबंध में पुलिस से कोई पत्र या नोटिस प्राप्त हुआ था, उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"नहीं, मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है।"*

40. तेलंगाना पुलिस द्वारा दिए गए इस तर्क पर कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कोविड की तीसरी लहर के दौरान मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक अवैध बैठक आयोजित की जिसके परिणामस्वरूप 60 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी टिप्पणी मांगे जाने पर उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"महोदय, शुरू में हम 'दीक्षा' का आयोजन बाहर करना चाहते थे; शाम तक पुलिस अधिकारी हमारे साथ थे। उनके निर्देशों के अनुसार हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और हमें कार्यालय के अंदर 'दीक्षा' आयोजित करने की अनुमति दी गई। तदनुसार, हमने पुलिस के निर्देशों और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मेरे कार्यालय के अंदर 'जागरण दीक्षा' शुरू की। तब भी उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जब मैं 'दीक्षा' आयोजित करना या विरोध करना चाहता हूं, राज्य सरकार मेरे विरोध को रोकने के लिए आदेश देती है/प्रतिबंध लगाती है। इस 'जागरण' के एक दिन पहले, राज्य के विधायकों और मंत्रियों ने हजारों लोगों के साथ सार्वजनिक रैलियां/बैठकें की थी। पुलिस ने उन रैलियों को नज़रअंदाज़ कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझ पर तब भी हमला किया जब मैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहा था। वे मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए झूठे मामले बना रहे हैं। इस प्रकार, वे मेरे अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं।"*

41. वास्तव में वहां क्या हुआ था और पुलिस के बयान कि वह बाद में मोटरसाइकिल पर अपने गार्ड को छोड़कर आए और 30 से 40 समर्थकों के साथ अपने पार्टी कार्यालय में प्रवेश किया और पार्टी कार्यालय को अंदर से बंद कर दिया और अपनी पार्टी के समर्थकों और नेताओं को बुलाना शुरू कर

दिया जिसके परिणामस्वरूप वहां भारी भीड़ जमा हो गई के बारे में स्पष्टीकरण मांगे जाने पर, श्री बंदी संजय कुमार ने निम्नवत उत्तर दिया:

*"इससे पहले, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के वेमुलावाड़ा में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वापस आते समय, मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए, मैं मोटर साइकिल से आ गया। जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तो पुलिस कर्मी वहां पहले से ही मौजूद थे। मेरे पहुंचने से पहले, पुलिस कर्मियों ने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। जब मैं कार्यालय पहुंचा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे पुलिस लाठीचार्ज की जानकारी दी। आगे और लाठी चार्ज को रोकने के लिए, मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने आप को अपने कार्यालय के अंदर बंद कर लिया। मैंने अपने कार्यालय को पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में बंद किया और वे इसके बारे में जानते थे। वे यह भी जानते थे कि कार्यालय के अंदर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने तब तक सहयोग किया। पुलिस आयुक्त के अचानक आने के बाद, उन्होंने हम पर हमला कर दिया।"*

42. यह पूछे जाने पर कि धारा 3 के तहत पुलिस के कर्तव्यों के पालन में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने, भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन नियमों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने में बाधा डालने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने पर, उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"महोदय, यह मनगढ़ंत आरोप है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां सैकड़ों पुलिस कर्मी थे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में थे। जब मुझे गालियां दी जा रही थीं और मुझ पर हमला किया जा रहा था,मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाने की कोशिश की। पुलिस ने हम पर हमला करने से पहले जान-बूझकर अपने नाम के बैज हटा दिए। पुलिस कर्मियों ने महिला पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। दस पार्टी कार्यकर्ता अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके पैर और हाथ टूट गए थे। हमारे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक महिला पार्टी कार्यकर्ता की साड़ी खींची गई। इन हमलों के बाद, हमने मनकोंडुरु पुलिस स्टेशन में पुलिस आयुक्त से सवाल किया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्यों लाठी चार्ज किया गया? उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर नौ बार लाठीचार्ज किया। जब मैंने सवाल किया और लाठीचार्ज और साड़ी खींचने का जिक्र किया, तो अगले ही दिन उन्होंने हमारे आरोपों से भटकाने के लिए हम पर झूठा आरोप लगा दिया। हम कानून का सम्मान और सुरक्षा करते हैं। सभी भाजपा कार्यकर्ता वर्दी-विहीन पुलिस की तरह हैं। हम असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने में हर समय पुलिस का सहयोग व समर्थन करते हैं। इसी तरह, पुलिस अधिकारी भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन, कुछ पुलिस अधिकारियों की हरकतें पुलिस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही हैं। हमने कभी कानून का*

*विरोध नहीं किया और न ही हमने किसी पुलिस कर्मी पर हमला किया। हम केवल उनका सम्मान करते हैं।"*

43. सदस्य द्वारा लगाए गए इन आरोपों कि श्री सत्यनारायण, आईपीएस ने उनके कार्यालय में प्रवेश किया, उनकी कमीज पकड़ी, उन्हें खींचा और यहां तक कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धमकी दी और हाथापाई की, के बारे में और साथ ही यह भी पूछे जाने पर कि क्या उनके पास इस आशय का कोई फोटो या प्रमाण पत्र है, उन्होंने बताया कि –

*"महोदय, सभी तस्वीरें समिति को प्रस्तुत की गई हैं। योजना के अनुसार, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया को वहां आने से रोक दिया गया और मीडिया कर्मियों पर भी लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने पत्रकारों को पीटा और फिर माफी मांगी। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मोबाइल छीन लिए गए और अगले दिन लौटा दिए गए। उन्होंने इस हमले की योजना इस तरह से बनाई थी कि कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस आयुक्त सत्यनारायण ने मुझ पर हमला किया और मेरा अपमान करने के लिए फिर से वापस आ गए, ये सब सुनियोजित है। यह पुलिस द्वारा बिना कोई साक्ष्य छोड़े सुनियोजित हमला है।"*

44. यह पूछे जाने पर कि पुलिस के उन आरोपों पर उनका क्या कहना हैं जिनमे यह कहा गया है कि उनके समर्थकों ने श्री के श्रीनिवास, एसीपी, करीमनगर पर हमला किया और उन्हें फ्रैक्चर कर दिया, माननीय सदस्य ने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"महोदय, हमें यह जानकारी नहीं है कि श्रीनिवास कौन हैं। हमने किसी पर हमला नहीं किया। यह गलत आरोप है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आरोप को गलत मानते हुए ही मेरी रिहाई के आदेश दिए थे।"*

45. जब समिति ने यह महसूस किया कि पुलिस ने उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया होगा और यह पूछे जाने पर कि उन्हें कब रिहा किया गया और न्यायालय ने उक्त मामले में क्या पाया, तो माननीय सदस्य ने निम्नवत बताया:-

*"मुझे हिरासत में लेने और फिर न्यायालय में पेश करने के बाद, मेरा 14 जनवरी 2022 तक रिमांड लिया गया। चूंकि मुझे निचले न्यायालय में जमानत नहीं मिली थी, इसलिए मैं उच्च न्यायालय गया। माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलें सुनने और साक्ष्य की जांच पड़ताल के*

*उपरांत 5 जनवरी 2022 की शाम को मेरी रिहाई का आदेश दे दिया और मुझे जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।"*

46. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें यह जानकारी थी कि तेलंगाना पुलिस ने उनकी हिरासत के बारे में लोक सभा सचिवालय को सूचित किया था, माननीय सदस्य ने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।"*

47. यह पूछे जाने पर कि क्या वह वही अधिकारी हैं जिन्हें संसदीय समिति ने पहले बुलाया था और जिन्होंने समिति के समक्ष माफी मांगी थी और जिन्हें समिति ने यह कहा था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं होनी चाहिए, सदस्य ने उक्त प्रश्न का हां में उत्तर दिया।

48. अधिकारी का नाम पूछे जाने पर सदस्य ने बताया कि उनका नाम सत्यनारायण है।

49. यह पूछे जाने पर कि वे किस पद पर तैनात हैं, उन्होंने बताया कि:-

*"महोदय, वे करीमनगर के पुलिस आयुक्त हैं।"*

50. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने सभी मोबाइल ले लिए थे, सदस्य ने निम्नवत उत्तर दिया:-

*" जी हाँ, महोदय, उन्होंने योजना के तहत सभी मोबाइल ले लिए थे।"*

51. यह पूछे जाने पर कि क्या वे प्रदर्शन कार्यालय के अंदर कर रहे थे या बाहर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वे पार्टी कार्यालय के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे।

52. यह पूछे जाने पर कि उन्होंने कार्यालय में बाहर से ताला क्यों लगा दिया, उन्होंने निम्नवत बताया:-

*"मेरे कार्यालय पहुंचने से पहले, पुलिस कर्मियों ने मेरे कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। जब मुझे इस बारे में बताया गया तो मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यकर्ता की संख्या कम रहे इसीलिए मैंने कार्यालय में ताला लगा दिया। जैसा कि कोविड प्रोटोकॉल लागू है, मैंने उक्त प्रोटोकॉल का अनुपालन किया। मैंने पुलिस की मौजूदगी में ही*

*अपने कार्यालय में ताला लगाया और उन्होंने भी मेरे द्वारा ताला लगाए जाने तक इस संबंध में मेरा सहयोग किया। इसके बाद, सीपी कुछ अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया।"*

53. यह पूछे जाने पर कि पुलिस आयुक्त को गैस कटर से दरवाजा काटने की क्या जरूरत थी, जबकि उनके कार्यालय में पुलिस के सहयोग से ताला लगाया गया था, माननीय सदस्य ने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"जब हम कार्यालय के अंदर थे तब भी उन्होंने खिड़की से लाठी चार्ज करने की कोशिश की। जब हमने कहा कि हम आपकी अनुमति से ही अंदर बंद हैं, तब भी उन्होंने हम पर लाठीचार्ज किया। हम डर गए और गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भी हम पर पत्थर और लाठियां बरसाई गईं जब हम बाहर निकलने से डरे हुए थे, तब उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल कर दरवाजे को काट दिया।"*

54. यह पूछे जाने पर कि क्या उक्त अधिकारी का व्यवहार वैसा ही रहा है जैसा कि पहले बताया गया है क्योंकि सदस्य ने इस समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की थी और उनके विरुद्ध मामला दायर किया था, जैसा कि समिति के कुछ अन्य सदस्यों ने भी महसूस किया है, माननीय सदस्य ने निम्नवत बताया:-

*"उक्त अधिकारी को विशेषाधिकार समिति द्वारा बुलाया गया था और कुछ मौकों पर उन्हें दिल्ली आना पड़ा था, इसलिए, इस बार उक्त अधिकारी ने बिना सबूत छोड़े फिर से हमला करने की कोशिश की।"*

**(ख) दिनांक 03 फरवरी, 2022 को श्री रवि गुप्ता, प्रधान सचिव (गृह) का साक्ष्य; श्री वी. सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त; श्री श्रीनिवास अतुला, श्री आर. प्रकाश, सहायक पुलिस आयुक्त; और श्री लक्ष्मी बाबू, पुलिस निरीक्षक का साक्ष्य।**

55. यह पूछे जाने पर कि श्री नागी रेड्डी, आईजीपी द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में कही गई बातों में क्या कुछ और जोड़ने का या उन पर टिप्पणी करने का था, श्री रवि गुप्ता, प्रधान सचिव (गृह), तेलंगाना सरकार ने निम्नवत बताया:-

*"महोदय, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य में गृह विभाग के प्रमुख सचिव एक आईपीएस हैं, लेकिन यहां विषयों का विभाजन है। कानून और व्यवस्था की देखभाल सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा की जाती है और पुलिस विभाग का प्रशासनिक प्रमुख गृह विभाग होता है। चूंकि मैं गृह सचिव हूं और जब मुझे 3 फरवरी को इस घटना के बारे में पता चला तो मैंने एडिसनल डीजीपी, कानून व्यवस्था से इस संबंध में पूछताछ की और संदेश आया कि इस बारे में रिपोर्ट भेजी जानी है। उस रिपोर्ट को डीजी ने जीएडी को भेजा था, जिन्होंने इसे महासचिव को अग्रेषित किया और उसकी एक प्रति मुझे जानकारी के लिए दी गई। इस मामले पर जीएडी द्वारा पूरी तरह से विचार किया जाता है पर मुझे इसकी जानकारी है।"*

56. यह पूछे जाने पर कि क्या इस मामले से संबंधित जिम्मेदारी मुख्य सचिव की थी, श्री रवि गुप्ता ने निम्नानुसार उत्तर दिया:–

*"महोदय, यह जीएडी की ज़िम्मेदारी है। एक अन्य प्रधान सचिव श्री विकास राज हैं जिन्होंने प्रतिवेदन अग्रेषित किया था।"*

57. जब उनसे पूछा गया कि राज्य में उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो उन्होंने निम्नानुसार बताया:–

*"जैसाकि मैंने पहले कहा, मुझे बजट, गैर-आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा मामलों जैसी सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है। आईपीएस अधिकारियों से संबंधित सभी मामलों पर जीएडी द्वारा विचार किया जाता है, न कि गृह विभाग द्वारा।"*

58. यह पूछे जाने पर कि प्रोटोकॉल के मुद्दों को कौन देखता है, उन्होंने कहा कि "यह जीएडी की जिम्मेदारी है। वहां एक आईपीएस अधिकारी है जो प्रोटोकॉल के मुद्दों को देखता है।

59. जब यह पूछा गया कि जब श्री सत्यनारायण श्री बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार करने के लिए उनके संसदीय कार्यालय गए तो उनके साथ कितना पुलिस बल था, तो उन्होंने निम्नवत बताया:–

*"महोदय, उस घटना की शाम से और माननीय सदस्य की गिरफ्तारी तक, चार एडिशनल एसपी, आठ डिप्टी एसपी और अन्य अधिकारियों सहित 650 अधिकारियों की व्यवस्था की जानी थी।"*

60. यह पूछे जाने पर कि क्या यह सब केवल सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए था, उन्होंने बताया कि –

*"यह सिर्फ सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर कोविड-19 संक्रमण को रोकने के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए था। यह लोगों की सुरक्षा के लिए भी था। परिसर के अंदर और बाहर, बहुत से लोग स्वयं पर केरोसिन या पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे।"*

61. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने परिसर के अंदर भी देखा, श्री सत्यनारायण ने कहा कि "अंदर भी ऐसे लोग थे जो अपने साथ पेट्रोल की बोतलें ले रहे थे।

62. जब यह पूछा गया कि उन्हें अंदर के लोगों के बारे में कैसे पता चला जो अपने साथ पेट्रोल की बोतलें ले रहे थे, श्री सत्यनारायण ने बताया कि –

*"गिरफ्तारी से पहले जो कुछ हुआ, उसके संबंध में कुछ वीडियो क्लिप थे। 15 वीडियो क्लिप हैं जो मीडिया द्वारा बनाए गए थे। माननीय समिति उनका अध्ययन कर सकती है।"*

63. यह पूछे जाने पर कि क्या वह पहली बार में कोविड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर सभी को उसी तरह से गिरफ्तार करते हैं, उन्होंने बताया: –

*"महोदय, कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के लिए हम व्यक्तियों की परवाह किए बिना समान निवारक कार्रवाई का पालन कर रहे हैं। यह स्थानीय स्थिति पर भी निर्भर करता है। हम यह उस समय के मौजूदा कानून के अनुसार करते हैं।"*

64. पिछले प्रश्न के सकारात्मक उत्तर को ध्यान में रखते हुए आगे यह पूछे जाने पर कि मार्च, 2019 से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अदालत के समक्ष पेश किया गया है या जेल में स्थानांतरित किया गया है, उन्होंने बताया:–

*"महोदय, वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा जारी जीओ और उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, हम आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 से 60 के तहत मामले दर्ज करते थे। इसलिए, करीमनगर आयुक्तालय में, उस दिन सहित बहुत पहले से हर दिन औसतन 150-200 लोगों पर मामला दर्ज किया जा रहा था। यहां*

*तक कि इतने सारे लोगों को अदालत में पेश किया जा रहा था, लेकिन यह एक जमानती अपराध है। यह प्रक्रिया चल रही है। जिस तारीख से समिति यह सूचना , मैं सटीक संख्या प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम उन लोगों के विरुद्ध औसतन 150 मामले दर्ज कर रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय लगातार निगरानी कर रहा है कि कितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं और हम किसी भी सामूहिक भीड़भाड़ को रोकने के लिए क्या निवारक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि हम ओमीक्रॉन वेरिएंट के नाम पर तीसरी लहर के किनारे पर हैं।"*

65. यह पूछे जाने पर कि क्या सदस्य को 'दीक्षा कार्यक्रम स्थल' से गिरफ्तार किया गया था या उनके संसदीय कार्यालय या किसी अन्य भवन से, उन्होंने बताया:–

*'हमने उन्हें सांसद कार्यालय और पार्टी कार्यालय से गिरफ्तार किया। उसके अंदर, एक अस्थायी कमरा है।"*

66. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका उद्देश्य कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन को रोकना था या यह किसी भी तरह से श्री बंदी संज़य कुमार, संसद सदस्य को गिरफ्तार करना और उनका अपमान करना था, तो उन्होंने बताया कि–

*"नहीं सर। हमारा इरादा केवल कोविड-19 के बड़े पैमाने पर प्रसार को रोकने का था। 62 से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया और उसके बाद सभी समर्थकों का आना शुरू हो गया। पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, आठ सदस्यों को चोटें आईं अंदर से वे लोगों को वहां आने के लिए उकसा रहे थे। यह नियंत्रण से बाहर जा रहा था। मेरे पास दरवाजा तोड़ने और गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके अलावा, यह नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग पेट्रोल की बोतलें और मिट्टी के तेल की बोतलें ले रहे थे। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वे धमकी दे रहे थे। पुलिस पर भी थोड़ा पेट्रोल छिड़का गया था। अगर आग लगने की कोई घटना हो जाती तो वह बहुत संवेदनात्मक होती। इसलिए ऐसी किसी घटना को रोकने और माननीय संसद सदस्य की सुरक्षा के लिए, हमें ऐसा करना पड़ा।"*

67. यह पूछे जाने पर कि क्या सदस्य को कमरे में बंद करके पुलिस बल को बाहर तैनात किया जा सकता था और बाहर लोगों को कथित रूप से उकसाने या पत्थरबाजी के लिए एक आरोप पत्र दायर

किया जा सकता था इससे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता और उस स्थिति में उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता था और फिर गैस-कटर मशीन से दरवाजा काटने की आवश्यकता नहीं होती, श्री सत्यनारायण ने निम्नवत बताया:-

*"मैंने कई बार अपील की जब वह लोगों को उकसा रहे थे। सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए थे। वे एक-दूसरे से शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। एसीपी श्री श्रीनिवास ने सदस्य और उनके समर्थकों से कई बार अपील की। इसके वीडियो हैं। मैं स्वयं वहां गया और माननीय संसद सदस्य और उनके समर्थकों से अपील की कि कृपया बाइर आएं; वहां आए लोगों को ना भड़काएं; आपके लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं सुन रहे थे।"*

68. यह पूछे जाने पर कि क्या पुलिस की नीति लोगों को घटना स्थल के पास एकत्र होने देने की थी या उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए था, उन्होंने बताया कि:

*"महोदय, वास्तव में चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यहां तक कि शहर के बाहरी इलाकों पर भी नजर रखी जा रही थी। हैदराबाद, हुजूराबाद, जगित्याल और आसपास के जिलों से आ रहे लोगों को वापस भेज दिया गया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बहुत सारे प्रतिबद्ध लोग घर-घर से, छोटी-छोटी गलियों से और मकानों से चोरी-छिपे आ रहे थे। वे छुप-छुपाकर उस इलाके में घुस रहे थे। यह तीन घंटे तक चला।"*

69. यह पूछे जाने पर कि 2 जनवरी, 2022 की मध्यरात्रि में पुलिस को गैस-कटर कैसे मिला और क्या यह सब पूर्व नियोजित था और क्या उन्होंने लोहे के दरवाजे को गैस-कटर से काटने का आदेश जारी किया था और यदि उन्होंने यह आदेश नहीं दिया तो किसने यह आदेश दिया, श्री सत्यनारायण ने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"हमने माननीय संसद सदस्य और अन्य लोगों से पेट्रोल की बोतलें फेंक देने की अपील की लेकिन वे नहीं सुन रहे थे। फिर हमने विभिन्न तरीकों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। फिर मैंने स्थानीय पुलिस (एसीपी) को निर्देश दिया कि दरवाजा नहीं केवल ताला खोलने के लिए तकनीशियन को बुलाएँ गैस कटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था और अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुछ उपकरण लाए गए थे लेकिन वह भी विफल रहे। बाद में, एक रॉड से ताला तोड़ा गया। मैंने माननीय संसद सदस्य को किसी भी संभावित पेट्रोल दुर्घटना से बचाने के लिए या कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय*

*पुलिस को ताला खोलने का निर्देश दिया क्योंकि उनके बीच कोई सामाजिक दूरी नहीं थी। यह बहुत छोटा क्षेत्र है। वे सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे।"*

70. यह पूछे जाने पर कि क्या तेलंगाना राज्य के संदर्भ में, ऐसा कोई मामला सामने आया है जहां विधायक या संसद सदस्य को कोरोना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया और गिरफ्तार किया गया तथा कितने विधायक और संसद सदस्य उनके अधिकार क्षेत्र में थे, श्री सत्यनारायण ने निम्नवत बताया:-

*"मेरी जानकारी के अनुसार यह पहला मामला था और मेरे अधिकार क्षेत्र में छह विधायक और एक संसद सदस्य हैं।"*

71. यह पूछे जाने पर कि इस मामले में जिस तरह से लोहे का दरवाजा काटा गया और जिस तरह से उन्हें घसीटकर ले जाया गया और गिरफ्तार किया गया, उसे देखते हुए क्या सदस्य के विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन हुआ है, श्री सत्यनारायण ने निम्नवत बताया:-

*"महोदय, मैं माननीय विशेषाधिकार समिति और सभापति महोदय से निवेदन करता हूँ कि मैं लोक सभा के इन संसद सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं। आप विधि निर्माता हैं। लेकिन माननीय संसद सदस्य को पेट्रोल से होने वाले खतरे से बचाने और कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए, मुझे उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। हिरासत के दौरान, हमारे लोग वहां थे। मैं वहां से दूर था। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने माननीय संसद सदस्य का कॉलर पकड़ा; उन्हें गाली दी; और उनके साथ हाथापाई की। यह सरासर असत्य है।"*

72. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि किसी संसद सदस्य को जबरन रोकना उसके संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना है और इसलिए, यह 'विशेषाधिकार का उल्लंघन' है, उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया:-

*"महोदय मै क्षमाप्रार्थी हूँ।"*

73. जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या किसी संसद सदस्य को उसके कार्यालय में जबरन प्रवेश करके और किसी उच्च अधिकारी और लोक सभा को सूचित किए बिना गिरफ्तार करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है या नहीं और क्या नयाचार इसकी अनुमति देता है, श्री सत्यनारायण ने निम्नवत बताया:

*" नहीं, महोदया लेकिन मौजूदा परिस्थिति ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया क्योंकि मुझे माननीय संसद सदस्य को पेट्रोल की चपेट में आने से बचाना था। इसके अलावा, इससे पूरे करीमनगर आयुक्तालय में बड़े पैमाने पर संक्रमण हो जाता। इसलिए, हमने गिरफ्तारी की है। अन्यथा, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, और आम दिनों में और हाल के उपचुनावों के दौरान भी कई बार हमने माननीय संसद सदस्य से बात की है। कोई टकराव नहीं था, लेकिन वह स्थिति तीसरी लहर के समय उत्पन्न हुई और माननीय उच्च न्यायालय लगातार इसकी निगरानी कर रहा था।"*

74. यह पूछे जाने पर कि सदस्य की गिरफ्तारी के संबंध में पत्र भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ और यह कि डाक के बजाय ई-मेल के माध्यम से पत्र क्यों नहीं भेजा गया और क्या वह किसी और के आदेशों को अधिक सक्रिय रूप से लागू कर रहे थे, श्री सत्यनारायण ने निम्नवत बताया:

*"महोदय, गिरफ़्तारी के तुरंत बाद, मैंने खुद माननीय अध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव को पूर्वाह्न, 3.57 बजे फैक्स संदेश भेजा जिसे सचिव द्वारा प्राप्त किया गया था। हमारे पास पावती है, महोदया।"*

75. नरेश, एसएचओ, करीमनगर-I टाउन, कोटला वेंकट रेड्डी, एसीपी, हुजुराबाद, इंस्पेक्टर रामचंदर, जमीकुंता, और वी. श्रीनिवास, एसीपी, की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर श्री सत्यनारायण ने निम्नवत बताया:-

*"नरेश, एसएचओ, करीमनगर-एक टाउन को छोड़कर, अन्य सभी अधिकारी - कोटला वेंकट रेड्डी, एसीपी, हुजुराबाद, और इंस्पेक्टर रामचंदर, जमीकुंता, वी.श्रीनिवास, एसीपी बाहर घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मुझे खुद चोटें आईं।"*

76. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें भी चोटें आई हैं और पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी पिटाई कैसे हुई, तो उन्होंने उत्तर दिया:-

*"जी महोदया वे माननीय संसद सदस्य के समर्थक थे। यह एक सतत प्रक्रिया है। जब हम लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी के लिए उठा रहे थे तो वो लगातार ऐसा कर रहे थे। बहुत से वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि वे लाठियां लिए हुए थे। उन्होंने आठ पुलिस अधिकारियों को पीटा और आठ पुलिस अधिकारियों को चोटें आईं किसी और ताकत ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर*

*नहीं किया। स्थानीय स्थिति के अनुसार माननीय सदस्य की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने ऐसा किया है। माननीय सदस्य ने न्यायिक अभिरक्षा में जाते समय न तो उच्च न्यायालय में कोई उल्लेख किया और न ही मजिस्ट्रेट से पुलिस के विरुद्ध कुछ कहा।"*

77. यह पूछे जाने पर कि क्या श्री जीवीसी राजगोपाल ने कर्तव्य निर्वहन, मौलिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उनके खिलाफ कोई याचिका दायर की थी, उन्होंने बताया कि:

*"दरअसल, यह एक रिट याचिका थी, महोदया।"*

78. यह पूछे जाने पर कि मामला क्या था और क्या उन्होंने इस संबंध में माफी मांगी थी, उन्होंने बताया कि-

*"शायद यह कोई परमादेश था कि हमने सदस्य को किसी मामले विशेष में क्यों गिरफ्तार किया, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी। सच कहूं तो मुझे कोई सजा नहीं दी गई, महोदया। वह मामला अभी उच्च न्यायालय में लंबित है। यह डिवीजन बेंच के कार्य क्षेत्र में है।"*

79. उस मामले में उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि-

*"यह बहन और भाई के बीच का मामला था। जब मैं हैदराबाद शहर में डीसीपी के पद पर तैनात था, तो बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मिस्टर राजगोपाल उन्हें परेशान कर रहे हैं।"*

80. यह पूछे जाने पर कि क्या उन पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने उत्तर दिया कि-

*"वह जुर्माना नहीं था, महोदया। इसे खर्चे के तौर पर दूसरे पक्ष को देना था। मैंने डिवीजन बेंच में अपील दायर की जहां यह अभी भी लंबित है।"*

81. यह पूछे जाने पर कि क्या एक पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने किसी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जैसा कि उन्होंने कठुआ की घटना में भाग लिया था, उन्होंने बताया कि-

*"नहीं महोदया। किसी भी परिस्थिति में, मैं विरोध में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कठुआ, कश्मीर मामले में मैं वहां गया था और भीड़ को तितर-बितर किया था। मेरा बहुत, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी कई पदक मिले हैं। अब तक, मेरे पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। साउथ जोन, ओल्ड सिटी में, मैंने चार साल तक सेवा की और एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। इसकी सभी समाज के लोगों व बुजुर्गों ने सराहना की। जब भी कोई बंदोबस्त होता था, मुझे बंदोबस्त में भाग लेने के लिए बुलाया जाता था। किसी भी बड़े बंदोबस्त का, मुझे प्रभारी बनाया जाता था।"*

82. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने सदस्य के परिसर में प्रवेश करने के लिए उच्च अधिकारी से अनुमति प्राप्त की थी, श्री सत्यनारायण ने निम्नानुसार बताया:-

*"दो बार मैंने डीजी सर से बात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।"*

83. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उच्च अधिकारी से अनुमति मिली है, उन्होंने बताया कि-

*"नहीं महोदय, उन्होंने कहा कि 'कानून के अनुसार लोगों की सुरक्षा के लिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा' और गिरफ्तारी का कोई निर्देश नहीं दिया।"*

84. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें 650 अधिकारियों का बल कहाँ से मिला और क्या उन्हें आस-पास के जिलों से भी बल मिला और क्या उनके पास इसकी अनुमति थी, तो उन्होंने बताया कि-

*"करीमनगर आयुक्तालय से 80 प्रतिशत और शेष कोंडापल्ली, वारंगल, आदि जिलों से। मैं डीआईजी हूं। जिलों का प्रशासनिक नियंत्रण मेरे अधीन है।"*

85. यह पूछे जाने पर कि उन्होंने सदस्य को कब गिरफ्तार किया और कब रिहा किया, श्री सत्यनारायण ने निम्नानुसार बताया:-

*"उन्हें 2 जनवरी, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 5 जनवरी, 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गयी।"*

86. यह पूछे जाने पर कि उन्होंने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार क्यों किया, जबकि अन्य मामलों में ऐसा नहीं किया, उनका उत्तर निम्नानुसार था :-

*"अन्य मामले केवल जमानती मामले हैं। उन्होंने पुलिस को धमकी नहीं दी और उन पर हमला नहीं किया है।"*

**(ग) श्री वी. सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना, श्री कोटला वेंकट रेड्डी, श्री के.श्रीनिवास, श्री वी. श्रीनवास, के. रामचंदर और श्री चालमाला नतेस राव का 15 जून, 2022 को आगे साक्ष्य।**

87. जब समिति ने श्री वी सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना को श्री विकास राज, पूर्व प्रधान सचिव, कानून एवं व्यवस्था, सामान्य प्रशासन विभाग और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिखित दिनांक 2 मई, 2022 के पत्र से अवगत कराया जिसमें कहा गया है कि न तो सामान्य प्रशासन विभाग और न ही तेलंगाना राज्य का गृह विभाग दिन प्रतिदिन की कानून व्यवस्था की स्थिति को देखता है और यह पुलिस विभाग देखता है। श्री वी. सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना से पूछा गया कि 2 मई, 2022 के उक्त पत्र में दिये गए मूल तथ्यों के आलोक में श्री बंदी संजय कुमार को बंद करने सहित पूरी स्थिति के बारे में उनका क्या कहना है, श्री सत्यनारायण ने निम्नानुसार बताया:-

*"महोदय, 2 जनवरी की मध्य रात्रि या शाम को जो कुछ हुआ, वह पूरी तरह से स्थानीय स्थिति पर निर्भर था। ऊपर से किसी ने भी ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था, लेकिन उस घटना के बाद मैंने तथ्यों को शामिल करते हुए पुलिस महानिदेशक को एक रिपोर्ट सौंपी। स्थानीय स्थिति के आधार पर और महामारी को फैलने से रोकने के लिए, कानून के अनुसार, मैंने अपने अधिकारियों के साथ माननीय सांसद को गिरफ्तार किया।"*

88. जब समिति ने यह पुष्टि करना चाहा कि क्या श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, सदस्य की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थे,उन्होने बताया :-

*"जी हाँ महोदय, एक यूनिट ऑफिसर के रूप में, मैं जिम्मेदार हूँ"*

89. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग या गृह विभाग से कोई गाइडलाइन प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि –

*"नहीं महोदया मुझे उनकी गिरफ्तारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से कोई आदेश नहीं मिला था।"*

90. यह पूछे जाने पर कि क्या अन्य सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी उस समय उपस्थित थे जब सदस्य को गिरफ्तार किया जा रहा था, श्री के. रामचंदर राव, पुलिस निरीक्षक ने यह बताते हुए सकारात्मक उत्तर दिया कि उन्हें अलग-अलग ड्यूटी आवंटित की गई थी।

91. यह पूछे जाने पर कि क्या वे गिरफ्तारी के समय वहां उपस्थित थे, श्री के. रामचंदर रावने : उत्तर दिया

*"नहीं, महोदय, वह कार्य जांच अधिकारी द्वारा देखा गया था। हम भीड़, आदि को नियंत्रण करने में लगे थे। हमने उनकी मदद की है।'*

92. यह पुष्टि करने के लिए पूछे जाने पर कि क्या माननीय सदस्य अपने कार्यालय में थे, तेलंगाना पुलिस अधिकारियों ने सकारात्मक उत्तर दिया।

93. यह पूछे जाने पर कि संसदीय दल के कार्यालय में बलपूर्वक घुसने के लिए किस प्रकार के बल का प्रयोग किया गया, तेलंगाना के पुलिस अधिकारियों ने उत्तर दिया कि -

*"नहीं, महोदया। हमें बाहर तैनात किया गया था और यह दूसरी पार्टी की ड्यूटी थी।*

94. यह पूछे जाने पर कि वह पार्टी कौन सी थी, उन्होंने बताया कि –

*"एसीपी, करीमनगर टाउन और प्रकाश एसीपी सर। "*

95. जब समिति ने पूछा कि संसदीय कार्यालय में प्रवेश करने के लिए लकड़ी के दरवाजे के बाहर लगे लोहे के दरवाजे को गैस कटर से काटा गया तो श्री सी. नतेश ने यह कहते हुए ना में जवाब दिया कि गैस कटर का उपयोग नहीं किया गया था।

96. यह पूछे जाने पर कि संसदीय कार्यालय में प्रवेश करते समय कितने लोग थे, इसके उत्तर में बताया गया कि अंदर और बाहर दोनों को मिलाकर लगभग सौ से अधिक लोग थे।

97. यह पूछे जाने पर कि उन्हें सदस्य को बलपूर्वक उनके कार्यालय से बाहर घसीटने का निर्देश कौन दे रहा था, श्री सी. नतेश ने इस प्रकार उत्तर दिया-:

*"महोदय, कोई बल प्रयोग नहीं किया गया था और हमने केवल अधिकारी के आदेशों का पालन किया और हमने उन्हें उठाते समय उनका ध्यान रखा।"*

98. यह पूछे जाने पर कि क्या वे संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में जानते हैं और क्या सदस्य पर हमला करना, तोड़–फोड़ करना और रात के समय कार्यालय में घुसना उचित है, उन्होंने निम्नानुसार बताया ;-

*"सर, हमने किसी के साथ मारपीट नहीं की। हमने केवल भीड़ नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया।"*

99. जब समिति ने श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, से पूछा कि क्या वह घटना के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं तो उन्होंने निम्नानुसार बताया:-

*"मैं, माननीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष एक बयान देना चाहता हूँ। मेरी लंबी सेवा से मुझे यह जानकारी है कि माननीय संसद सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार क्या हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से माननीय लोकसभा सांसद श्री बंदी संजय कुमार महोदय के साथ दो घटनाएं हुईं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं प्रभारी आयुक्त था। माननीय सांसद के किसी भी अधिकार का उल्लंघन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। विशेषाधिकार समिति द्वारा हमें बुलाए जाने के बाद भी माननीय सांसद श्री बंदी संजय कुमार द्वारा हाल ही में हनुमान जयंती की शोभायात्रा सहित अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। हमने सभी सावधानियां बरतीं। हमने अत्यधिक सावधानी बरती और दो तीन दिन पहले पाँच से छह कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए। पिछले सप्ताह भी एक जुलूस निकला था जिसमें माननीय सांसद श्री बंदी संजय कुमार की रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। लेकिन उन दोनों घटनाओं में मैंने पूरी सावधानी के साथ स्थानीय स्थिति और कानून के मुताबिक काम किया। मैंने माननीय सांसद का कॉलर नहीं पकड़ा। मैंने एक भी अपशब्द नहीं बोला। दोनों ही घटनाओं में मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। यदि माननीय समिति मुझे किसी भी बात का दोषी पाती है, वह मेरे खिलाफ गंभीर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन मैं बहुत सावधान रहूंगा .कोविड की तीसरी लहर की वजह से हर कोई*

*चिंतित था और हजारों लोग वहां आ रहे थे। एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ। मैंने सभी प्रयास किए और मैंने अपील की और नोटिस दिया, लेकिन मैं कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए मजबूर था। मैं भविष्य में बहुत, बहुत सावधान रहूंगा। इसे दोहराया नहीं जाएगा।"*

100. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस घटना के लिए कोई खेद है, श्री सत्यनारायण ने उत्तर दिया:-

*"जी हाँ, महोदय। मेरे कारण से, हालात के बेकाबू होने के कारण, मुझे खेद है। वे हमारे क्षेत्राधिकार के सांसद हैं। वे भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी सभाएँ की जाती हैं। मेरी वजह से आला अधिकारियों सहित कई लोगों को परेशानी हो रही है। पूरे विवेक के साथ मैं कहूंगा कि आगे से मै बहुत बहुत सावधान रहूँगा। मुझे वास्तव में बहुत खेद है। आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। विशेषाधिकार समिति में भाग लेने के बाद मुझे यह एहसास हुआ।"*

101. यह पूछे जाने पर कि क्या वे इसे लिखित रूप में देंगे, उन्होंने उत्तर दिया कि –
*"निश्चित रूप से, महोदय।"*

**छह. श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य जब टीएसआरटीसी चालक के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे थे तो उस समय कथित रूप से उन पर हमला किए जाने पर उनके द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण, अपर पुलिस उपायुक्त, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 7 नवंबर, 2019 को दिये गए प्रथम विशेषाधिकार के मामले अर्थात् विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के निष्कर्ष,**

102. समिति के समक्ष मुख्य मुद्दा निम्नलिखित का निर्धारण करना है:-

(i) क्या संबंधित पुलिस अधिकारी(यों) द्वारा सदस्य पर हमला किया गया था, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है।

(ii) क्या संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा सदस्य पर उस समय हमला किया जाना, जब वे टीएसआरटीसी चालक के अंतिम संस्कार में थे, विशेषाधिकार का हनन है।

**मुद्दा संख्या 1: क्या सदस्य पर संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किया गया था, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है।**

103. समिति नोट करती है कि शव यात्रा के दौरान, हजारों आक्रामक लोग चिल्ला रहे थे और आपस में भिड़ रहे थे, जब पीछे से किसी ने सदस्य को अपने हाथ का उपयोग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और यहां तक कि उसने सदस्य की शर्ट खींचने का भी प्रयास किया था, जिससे उन्हें शारीरिक असुविधा हुई और यह एक प्रकार का हमला ही था और यह कि स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, खासकर जब संसद सदस्य को संभालने की बात हो यह बुनियादी बात है कि एक संसद सदस्य हजारों-लाखोंआबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियों और जनसंपर्क को संभालना पड़ता है, जिनमें से एक किसी के अंतिम संस्कार में भाग लेना भी था।

104. समिति आगे यह भी नोट करती है कि समिति के समक्ष अपने बयान में, प्रभारी पुलिस आयुक्त ने बताया कि स्थिति बहुत परेशान करने वाली थी और क्षेत्र के आसपास एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और सदस्य अंतिम संस्कार के जुलूस को आरटीसी बस डिपो तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। इसलिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था। भीड़ ने जिलाधिकारी और आरडीओ पर हमला कर दिया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई। उन्होंने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आक्रामक भीड़ को रोका। माननीय सांसद की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें साइड पर आने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद समर्थक और युवा कार्यकर्ता, खासकर आरटीसी के युवा और कार्यकर्ता बहुत हिंसक हो गए और पुलिस को गाली देने लगे और चप्पल फेंकने लगे, लेकिन पुलिस ने बेहद संयम बरता। इस बीच, एक चैनल में कुछ तस्वीरें प्रसारित की गईं, जिसमें सदस्य को साइड में ले जाने और उन्हें भगदड़ और आक्रामक भीड़ वाले इलाके से बचाने के दौरान, कुछ तस्वीरों में हाथ इधर उधर हिलते हुए दिखाये गए थे, जिससे सदस्य ने यह सोचा कि पुलिस आक्रामक थी।

श्री सत्यनारायण, तत्कालीन प्रभारी पुलिस आयुक्त, करीमनगर के अनुसार, पुलिस अधिकारी केवल उन्हें भगदड़ से बचाने और उन्हें आक्रामक भीड़भाड़ वाले इलाके से बचाने की कोशिश कर रहे थे और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाए थे। समिति यह भी नोट करती है कि श्री वी सत्यनारायण, तत्कालीन प्रभारी पुलिस आयुक्त, करीमनगर ने भीड़ में किसी व्यक्ति जो हाथापाई के दौरान माननीय सदस्य पर अपना हाथ रख रहा था ,द्वारा माननीय सदस्य के साथ अनजाने में दुर्व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त किया।

105. मामले में सामने आए तथ्यों से और रिकॉर्ड में दिए गए बयानों से, समिति पाती है कि श्री वी सत्यनारायण, तत्कालीन प्रभारी पुलिस आयुक्त, करीमनगर घटना स्थल पर थे और वहां हाथापाई भी हुई थी। परिस्थितियों की मांग थी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण किया जाए और प्रभारी पुलिस आयुक्त के आदेश पर वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निवारक उपाय करने चाहिए थे कि स्थिति और खराब न हो। यह प्रतीत होता है कि सदस्य के साथ स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन जैसा कि प्रभारी पुलिस आयुक्त द्वारा बताया गया था, घटना स्थल पर अशांति थी और यह केवल अकस्मात था कि सदस्य का कॉलर पकड़ा गया दिखाया गया था और दरअसल वास्तविक स्थिति को चित्रित नहीं किया था। यद्यपि, माननीय संसद सदस्य को अनुचित असुविधा हुई प्रतीत होती है, तथापि, समिति का मानना है कि प्रभारी पुलिस आयुक्त और उनके अधिकारियों को प्रथम दृष्टया अधिक चौकस और सतर्क होना चाहिए था, ताकि ऐसी खराब स्थितियों से बचा जा सके।

106. समिति इस तथ्य को भी नोट करती है कि प्रभारी पुलिस आयुक्त ने इस घटना के लिए अपना गंभीर खेद व्यक्त किया था और अपनी ओर से किसी भी कृत्य या चूक जिससे माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, के लिए समिति को अपनी लिखित बिना शर्त माफी भी प्रस्तुत की, जिसे **परिशिष्ट-एक** के रूप में संलग्न किया गया है।

**मुद्दा संख्या 2: क्या सदस्य जब टीएसआरटीसी चालक के अंतिम संस्कार में थे तो उन पर संबंधित पुलिस अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा हमला, 'विशेषाधिकार का उल्लंघन' था।**

107. समिति इस सुस्थापित स्थिति को नोट करती है कि सदस्यों को विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होते हैं जब वे लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे हों और अपनी विधायी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हों। हालाँकि, यह विशेषाधिकार उस स्थिति में उपलब्ध नहीं है जब कोई सदस्य कोई संसदीय कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। पुलिस अधिकारियों की ओर से कथित दुर्व्यवहार के कृत्य से संसद सदस्य के विधायी/संसदीय कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के निर्वहन में कोई बाधा या अड़चन प्रतीत नहीं होती है जिससे उनके 'संसदीय विशेषाधिकार' का उल्लंघन हुआ हो। इसके अलावा, जब सदस्य टीएसआरटीसी चालक के अंतिम संस्कार में थे, तो किसी विधायी/संसदीय कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे।

108. इस संबंध में सुस्थापित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया को भी नोट करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: -

*"किसी सदस्य को ,जब वह सदन में उपस्थित हो रहे है या जब वह सदन में आ रहे है या सदन से जा रहे है, उनके संसदीय कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालना या छेड़छाड़ करना, विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। इसी तरह, संसद में किसी सदस्य के आचरण के कारण उनसे छेड़छाड़ करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। हालांकि, उत्तरोत्तर अध्यक्षों ने माना है कि अपने संसदीय कार्य से न जुड़े हुए किसी सदस्य पर हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार या पुलिस या सरकार के अधिकारियों द्वारा केवल अभद्रता विशेषाधिकार के मामले नहीं हैं, और ऐसी शिकायतों को सदस्यों द्वारा सीधे मंत्रियों को देना चाहिए (पृष्ठ 363-364, लोक सभा डिबेट्स दिनांक 22.12.1981)।"*

109. तथापि, समिति इस बात से व्यथित है कि हाल ही में, संसद सदस्यों पर हमले और पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा के प्रयोग और अभद्र टिप्पणियों के कई मामले सामने आए हैं। समिति, प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी बढ़ती हुई घटनाओं के कारणों को समझने में असमर्थ है। समिति, प्रशासनिक/पुलिस कर्मियों द्वारा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर हमले और उनके साथ बार-बार दुर्व्यवहार की इस तरह की घटनाओं पर अपनी घोर अप्रसन्नता और पीड़ा व्यक्त करती है।

110. समिति इस बात पर भी जोर देती है कि संसद सदस्य, लोक सेवकों से अत्यधिक सम्मान और आदर के हकदार हैं। पुलिस या किसी अन्य अधिकारी को इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सदस्यों को जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को अत्यंत सावधानी के साथ काम करना चाहिए था और उन्हें ऐसे सभी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए था जिसके लिए सदस्य वैध रूप से हक़दार है।

111. जहां तक इस समिति सचिवालय द्वारा भेजे गए पत्रों का उत्तर प्रस्तुत करने में देरी का संबंध है, समिति इस तथ्य पर कड़ा रुख अपनाती है कि तेलंगाना सरकार के संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित उत्तर उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ था। समिति लोक सभा सचिवालय के पत्रों का तुरंत उत्तर नहीं देने के लिए तेलंगाना सरकार के संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है और संबंधित अधिकारियों से इस सचिवालय द्वारा भेजे गए पत्रों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देती है।

**सात. विशेषाधिकार के दूसरे मामले अर्थात श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य द्वारा करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्हें अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार करने और उनके विरुद्ध कथित झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में उन्हें 'रिमांड' के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने की कोशिश करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दी गई सूचना /शिकायत /ईमेल के संबंध में निष्कर्ष और परिणाम।**

112. समिति के समक्ष मुख्य मुद्दा निम्नलिखित का निर्धारण करना है:-

(एक) क्या सदस्य के साथ तेलंगाना के पुलिस अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है।

(दो) क्या तेलंगाना पुलिस द्वारा गैस कटर/रॉड की मदद से और किसी उच्च अधिकारी को सूचित किए बिना करीमनगर, तेलंगाना में संसद सदस्य के संसदीय दल के कार्यालय में जबरन प्रवेश करके उन्हें गिरफ्तार करना 'विशेषाधिकार का उल्लंघन' है।

**मुद्दा संख्या 1:(एक) क्या सदस्य के साथ तेलंगाना के पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है।**

113. समिति नोट करती है कि जब श्री बंदी संजय कुमार ने अपने पार्टी समर्थकों के साथ तेलंगाना में शिक्षकों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ 2 जनवरी, 2022 को करीमनगर में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में शाम 7:30 बजे से 'जागरण-दीक्षा' के माध्यम से विरोध किया, तो पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण कई पुलिसकर्मियों के साथ, जो बिना बैज के थे, उनके पार्टी कार्यालय परिसर में पहुंचे और उन्होंने जागरण-दीक्षा में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि सदस्य ने खुद को कार्यालय के अंदर बंद कर लिया और वे अन्य लोगों के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी पुलिसकर्मियों ने गैस कटर/लोहे की रॉड का उपयोग करके जबरन उनके कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत होता है कि गैस कटर/लोहे की रॉड का उपयोग करके दरवाजे, ताले और लोहे के गेट तोड़ दिए गए थे। पुलिस ने सदस्य और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बलपूर्वक पानी का छिड़काव करने के लिए खिड़की से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। अंत में, पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण की देखरेख में, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस कर्मियों ने सदस्य को जबरन गिरफ्तार कर

लिया और उन्हें धक्का देकर अपनी पुलिस वैन में बैठा लिया और उस रात पास के पुलिस स्टेशन ले गए। श्री बंदी संजय कुमार को पूरी रात ठंड में उस थाने में हिरासत में रखा गया।

114. इस मामले में सामने आए तथ्यों और रिकार्ड पर दिए गए बयानों से समिति पाती है कि करीमनगर के पुलिस आयुक्त श्री वी सत्यनारायण ने सदस्य को जबरन गिरफ्तार किया और रात के समय ठंड में पास के पुलिस थाने में हिरासत में रखकर माननीय संसद सदस्य को अनुचित असुविधा पहुंचाई। ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य के साथ स्पष्ट रूप से उचित शिष्टाचार नहीं निभाया गया था। पुलिस आयुक्त और उनके अधिकारियों को ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए था। सदस्य की गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए आधार (आधारों) जैसे कि सदस्य को पेट्रोल बमों से बचाने और कोविड के प्रसार को रोकने आदि, इतने विश्वसनीय नहीं हैं।

115. समिति इस तथ्य पर भी ध्यान देती है कि पुलिस आयुक्त ने इस घटना के लिए अपना गंभीर खेद व्यक्त किया था और अपनी ओर से किसी भी कृत्य या चूक जिससे माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, के लिए समिति को अपनी लिखित बिना शर्त माफी भी प्रस्तुत की, जिसे **परिशिष्ट-दो** के रूप में संलग्न किया गया है।

**मुद्दा संख्या 2: (दो) क्या तेलंगाना पुलिस द्वारा गैस कटर/रॉड की मदद से और किसी उच्च अधिकारी को सूचित किए बिना करीमनगर, तेलंगाना में संसद सदस्य के संसदीय दल के कार्यालय में जबरन प्रवेश करके उन्हें गिरफ्तार करना 'विशेषाधिकार का उल्लंघन' है।**

116. समिति इस सुस्थापित स्थिति को नोट करती है कि सदस्यों को विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होते हैं जब वे लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे हों और अपनी विधायी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हों। हालाँकि, यह विशेषाधिकार उस स्थिति में उपलब्ध नहीं है जब कोई सदस्य कोई विधायी/ संसदीय कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। पुलिस अधिकारियों की ओर से कथित दुर्व्यवहार के कृत्य से संसद सदस्य के विधायी/संसदीय कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के निर्वहन में कोई बाधा या अड़चन प्रतीत नहीं होती है जिससे कि उनके 'संसदीय विशेषाधिकार' का उल्लंघन हो सके। इसके अलावा, जब

सदस्य करीमनगर,तेलंगाना में अपने पार्टी कार्यालय में 'जागरण/दीक्षा' में व्यस्त थे, तो किसी विधायी/संसदीय कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे।

117. इस संबंध में सुस्थापित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया को भी नोट करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: -

> *"किसी सदस्य को ,जब वह सदन में उपस्थित हो रहे है या जब वह सदन में आ रहे है या सदन से जा रहे है, उनके संसदीय कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालना या छेड़छाड़ करना, विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। इसी तरह, संसद में किसी सदस्य के आचरण के कारण उनसे छेड़छाड़ करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। हालांकि, उत्तरोत्तर अध्यक्षों ने माना है कि अपने संसदीय कार्य से न जुड़े हुए किसी सदस्य पर हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार या पुलिस या सरकार के अधिकारियों द्वारा केवल अभद्रता विशेषाधिकार के मामले नहीं हैं, और ऐसी शिकायतों को सदस्यों द्वारा सीधे मंत्रियों को देना चाहिए (पृष्ठ 363-364, लोक सभा डिबेट्स दिनांक 22.12.1981)"*

118. तथापि, समिति इस बात से व्यथित है कि संसद सदस्य को जबरन गिरफ्तार करना और रात को ठंड में पुलिस थाने में हिरासत में रखना तेलंगाना पुलिस से अपेक्षित नहीं है। समिति, पुलिस कर्मियों द्वारा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बार-बार दुर्व्यवहार और अनुचित व्यवहार की ऐसी घटनाओं पर अपनी घोर अप्रसन्नता और पीड़ा व्यक्त करती है।

119. समिति एक बार फिर इस बात पर जोर देती है कि संसद सदस्य, लोक सेवकों से अत्यधिक सम्मान और आदर के हकदार हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को अत्यंत सावधानी के साथ काम करना चाहिए था और उन्हें ऐसे सभी शिष्टाचार दिखाने चाहिए जिनके लिए सदस्य वैध रूप से हक़दार हैं।

## आठ. सिफारिशें

**120. समिति अपने निष्कर्षों और परिणामों के आलोक में और पुलिस आयुक्त द्वारा समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत बिना शर्त माफी और विशेषाधिकार संबंधी उपर्युक्त दोनों मामलों में, अपने**

तदनंतर लिखित निवेदन में बिना शर्त माफी को देखते हुए सिफारिश करती है कि मामले में आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है और इस मामले को समाप्त माना जाए।

सुनील कुमार सिंह
सभापति
विशेषाधिकार समिति

नई दिल्ली
दिनांक...10..March,..2023

## विशेषाधिकार समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 अगस्त, 2020 को 1100 बजे से 1400 बजे तक समिति कक्ष- `बी`, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

### उपस्थित

श्री सुनील कुमार सिंह - माननीय सभापति

### सदस्य

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री राजू बिष्ट
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
7. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर
8. श्री तालारी रंगैय्या
9. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
10. श्री गणेश सिंह

### सचिवालय

1. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
2. श्री एस. आर. मिश्रा - अपर निदेशक
3. श्री जी बालागुरू - उप सचिव

सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। XXX XXX XXX XXX XXX

2. तत्पश्चात, समिति ने श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य द्वारा श्री सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री संजीव, अपर पुलिस उपायुक्त और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दी गई दिनांक 07 नवंबर, 2019 की विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना, जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे, को लिया।

*[श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य को अंदर बुलाया गया और शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया गया। तत्पश्चात, सदस्य साक्ष्य देकर चले गए।]*

3. XXX XXX XXX XXX XXX

4. XXX XXX XXX XXX XXX

5. XXX XXX XXX XXX XXX

6. XXX XXX XXX XXX XXX

*तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।*

*******

## विशेषाधिकार समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को 1130 बजे से 1418 बजे तक समिति कमरा सं.-3, ब्लॉक- `ए`, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

श्री सुनील कुमार सिंह - माननीय सभापति

**सदस्य**

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
5. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
6. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर
7. प्रो. अच्युतानंद सामंत
8. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
9. श्री गणेश सिंह

**सचिवालय**

श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
श्री जी. बालागुरू - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

XXX XXX XXX XXX XXX

3. XXX XXX XXX XXX XXX

4. XXX XXX XXX XXX XXX

5. संक्षिप्त चर्चा करने के उपरांत, समिति ने दूसरे मद अर्थात श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य द्वारा श्री सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री संजीव, अपर पुलिस उपायुक्त और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दी गई दिनांक 07 नवंबर, 2019 की विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना, जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे, को लिया।

*[तत्पश्चात, साक्षी, श्री वी. सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त को अंदर बुलाया गया और शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया गया ।]*

कुछ विचार-विमर्श करने के उपरांत और अपने साक्ष्य के दौरान साक्षी द्वारा मांगी गई क्षमायाचना को देखते हुए, साक्षी से समिति के विचार-विमर्श हेतु लिखित रूप में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया।

*(तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)*

6. XXX XXX XXX XXX XXX

7. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

**तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।**

*******

## विशेषाधिकार समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की तेरहवीं बैठक का प्रारूप कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 29 जून, 2021 को 1200 बजे से 1245 बजे तक समिति कमरा संख्या 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

श्री सुनील कुमार सिंह – माननीय सभापति

**सदस्य**

2. श्री कल्याण बनर्जी
3. श्री राजू बिष्ट
4. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
5. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
6. श्रीमती मिनाक्षी लेखी
7. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर
8. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

**सचिवालय**

| | | |
|---|---|---|
| श्री राजू श्रीवास्तव | - | निदेशक |
| श्री बाला गुरू जी | - | उप सचिव |

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

xxx xxx xxx xxx xxx

3. xxx xxx xxx xxx xxx

4. तत्पश्चात, समिति ने श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य द्वारा श्री सत्यनारायण, प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री संजीव, अपर पुलिस उपायुक्त और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दी गई दिनांक 07 नवंबर, 2019 की विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना जिसमें उन्होंने उन पर उस समय हमला करने का आरोप लगाया है जब वे एक टीएसआरटीसी ड्राईवर के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे थे, से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया। कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया और माननीय सभापति को इसे सभा पटल पर रखे जाने से पहले माननीय अध्यक्ष को भेजने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति की बैठक की कार्यवाहियों की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

**तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।**

***

## विशेषाधिकार समिति (17वीं लोक सभा) की अठारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 21 जनवरी, 2022 को 1230 बजे से 1345 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

श्री सुनील कुमार सिंह – माननीय सभापति

**सदस्य**

2. श्री राजू बिष्ट
3. श्री दिलीप घोष
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्री नारणभाई काछड़िया
6. श्री कोडिकन्नील सुरेश
7. श्री राजीव प्रताप रूडी
8. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
9. श्री गणेश सिंह

**सचिवालय**

श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
श्री बाला गुरू जी - उपसचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, समिति ने करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में उन्हें गैर-कानूनी ढंग से जबरन

गिरफ्तार करने और 'रिमांड' के लिए अदालत के समक्ष पेश करने का प्रयास करने के कारण संसद सदस्य द्वारा उनके खिलाफ दिनांक 3 जनवरी, 2022 को की गई शिकायत/ईमेल पर विचार किया ।

3. तत्पश्चात, इस मामले में साक्षी, श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य को अंदर बुलाया गया और शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया गया।

(तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

4. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***

## विशेषाधिकार समिति (17वीं लोक सभा) की उन्नीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को 1100 बजे से 1301 बजे तक कमरा सं. 2, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

श्री सुनील कुमार सिंह – माननीय सभापति

**सदस्य**

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री राजू बिष्ट
4. श्री दिलीप घोष
5. श्री नारणभाई काछड़िया
6. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर
7. श्री तालारी रंगैय्या
8. प्रो. अच्युतानंद सामंत
9. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
10. श्री गणेश सिंह

**सचिवालय**

श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
श्री बाला गुरू जी - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, समिति ने करीमनगर के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में उन्हें गैर-कानूनी ढंग से जबरन गिरफ्तार

करने और 'रिमांड' के लिए अदालत के समक्ष पेश करने का प्रयास करने के कारण संसद सदस्य द्वारा उनके खिलाफ दिनांक 3 जनवरी, 2022 को की गई शिकायत/ईमेल पर विचार किया ।

3. तत्पश्चात, इस मामले में निम्नलिखित साक्षियों को अंदर बुलाया गया और शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया गया।

(एक) प्रधान सचिव (गृह), तेलंगाना सरकार (श्री रवि गुप्ता, आईपीएस);

(दो) पुलिस आयुक्त, करीमनगर जिला, तेलंगाना
(श्री वी. सत्यनारायण, आईपीएस);

(तीन) श्री श्रीनिवास राव, एसीपी, करीमनगर, तेलंगाना;

(चार) श्री प्रकाश, डीएसपी, जगित्याल, तेलंगाना; और

(पांच) श्री लक्ष्मी बाबू, इंस्पेक्टर, करीमनगर पुलिस स्टेशन, तेलंगाना।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

4. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***

## विशेषाधिकार समिति की छब्बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
## (सत्रहवीं लोक सभा)

समिति की बैठक बुधवार, 15 जून, 2022 को 1230 बजे से 1453 बजे तक समिति कक्ष संख्या 2, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

**उपस्थित**

श्री सुनील कुमार सिंह – माननीय सभापति

**सदस्य**

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
4. डॉ. तालारी रंगैय्या
5. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
6. श्री गणेश सिंह

**सचिवालय**

श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
श्री बाला गुरू जी. - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

****** ******* ********

3. तत्पश्चात, समिति ने करीमनगर, तेलंगाना के पुलिस आयुक्त, श्री सत्यनारायण और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा श्री बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के संबंध में उन्हें गैर-कानूनी ढंग से जबरन गिरफ्तार करने और 'रिमांड' के लिए अदालत के समक्ष पेश करने का प्रयास करने के कारण संसद सदस्य द्वारा उनके खिलाफ दिनांक 3 जनवरी, 2022 को दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के 'नोटिस/शिकायत/ईमेल आदि' पर विचार किया। कुछ विचार-विमर्श करने के पश्चात, निम्नलिखित साक्षियों को अंदर बुलाया गया और शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया गया:

*(एक) श्री विकास राज, तत्कालीन संयुक्त सचिव, कानून और व्यवस्था, सामान्य प्रशासन विभाग, तेलंगाना (वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तेलंगाना के रूप में पदस्थापित);*

*(दो) श्री वी. सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर, तेलंगाना;*

*(तीन) श्री कोटला वेंकट रेड्डी, एसीपी, हुजूराबाद, तेलंगाना;*

*(चार) श्री के. श्रीनिवास, एसीपी, सीसीएस पीएस, करीमनगर, तेलंगाना;*

*(पाँच) श्री कोमिनेनी रामचंद्र राव, निरीक्षक, जम्मीकुंटा पीएस;*

*(छः) श्री वी. श्रीनिवास, निरीक्षक, हुजूराबाद, तेलंगाना;*

*(सात) श्री चल्लामल्ला नटेश, निरीक्षक, 1 टाउन पीएस, करीमनगर, तेलंगाना।*

*(तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)*

4. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***

परिशिष्ट - I

**माननीय सभापति,**
**विशेषाधिकार समिति,**
**लोक सभा,**
**भारतीय संसद, नई दिल्ली।**

महोदय,

सी.नं. 45/सीएएमपी/सीपी-आरजीएम/2021 दिनांक 03.04.2021

विषयः रामागुंडम कमिश्नरी, तेलंगाना के पुलिस विभाग की माननीय संसद सदस्य श्री बंदी कुमार संजय को हुई असुविधा के लिए बिना शर्त लिखित में की जाने वाली क्षमायाचना के संबंध में।

मैं, वी. सत्यनारायण, आईपीएस, रामागुंडम कमिश्नरी तेलांगना का डीआईजी और पुलिस आयुक्त नम्र निवेदन करता हूं कि तेलांगना में आरटीसी हड़ताल के दौरान एक आरटीसी चालक श्री एन. बाबू का हैदराबाद में दिनांक 30.10.2019 को दिल का दौरा पड़ने से उस समय निधन हो गया जब वे वहां एक मीटिंग में भाग ले रहे थे। उनके मृत शरीर को उनके जन्मस्थान करीमनगर लाया गया। माननीय संसद सदस्य, श्री बंदी कुमार संजय, करीमनगर ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सरकार से यह मांग करते हुए विरोध जताया कि आरटीसी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा किया जाए। अब चूंकि आरटीसी चालक का शव खराब हो (फूलना और बदबू आना) रहा था, इसलिए घर के सदस्यों ने 01.11.2019 को शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन माननीय संसद सदस्य श्री बंदी कुमार संजय सरकार पर दबाव बनाने के लिए उस शव यात्रा को करीमनगर बीच शहर से होकर आरटीसी डिपो (शवदाह स्थल से 6 कि.मी. दूर) ले जाना चाहते थे।

कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने और किसी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ न पाए इस उद्देश्य से पुलिस ने घर के सदस्यों, सगे-संबंधियों और आरटीसी कार्यकर्ताओं को उस शवदाह स्थल तक जाने में मदद की जहां उनको अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया था।

माननीय सदस्य इस बात से नाराज और आक्रोशित हो गए और वे अपने समर्थकों के साथ बलपूर्वक बैरिकेडों को हटाते तथा पुलिस बल को धक्का देते हुए शहर की ओर बढ़ गए। अचानक उक्त स्थल के पास भगदड़ मचने लगी और माननीय सदस्य व अन्य लोगों को बचाने के उद्देश्य से पुलिस ने माननीय सदस्य तथा उनके समर्थकों को आगे बढ़ने से रोका। उसी दौरान पुलिस और माननीय सदस्य की अगुवाई वाली भीड़ के बीच धक्का-मुक्की होने लगी।

यह भी निवेदन है कि यदि पुलिस समर्थकों को नहीं रोकती तो स्थिति बहुत बदतर हो जाती और भारी हिंसा हो सकती थी।

पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया है और भीड़ को रोकने का एक ही मकसद था माननीय संसद सदस्य तथा जनता को बचाना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने संबंधी कोई बड़ी घटना न हो।

माननीय सदस्य द्वारा यह आरोप लगाया गया कि सरकार के निर्देश पर पुलिस ने सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया यह सही नहीं है। इसके अलावा माननीय संसद सदस्य का यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री तथा उच्च पुलिस अधिकारियों के समर्थन से उनके मानव अधिकारों, मूल अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है यह भी सही नहीं है।

यदि माननीय संसद सदस्य को यह महसूस हुआ हो कि पुलिस की निषेधात्मक कार्रवाई से उन्हें कोई असुविधा व अशांति हुई है तो मैं माननीय विशेषाधिकार समिति, लोक सभा, भारतीय संसद के समक्ष माननीय संसद सदस्य, श्री बंदी कुमार संजय जी से लिखित रूप में बिना शर्ता क्षमायाचना करता हूँ।

धन्यवाद।

भवदीय

ह0/-

(वी सत्यनारायण, आईपीएस)

पुलिस के डीआईजी/आयुक्त,

रामागुंडम

परिशिष्ट - II

**तेलंगाना सरकार**
**पुलिस विभाग**

प्रेषक
वी. सत्यनारायण, आईपीएस,
पुलिस आयुक्त, करीमनगर।

सेवा में
माननीय सभापति,
विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार और
आचार शाखा, लोक सभा सचिवालय,
संसद भवन, नई दिल्ली।

**सी.सं.01/एसबी/जी1/5/2022, दिनांक: 04-07-2022**

आदरणीय महोदय /महोदया,

**विषय:- विशेषाधिकार समिति- श्री बंदी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य, करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की करीमनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में स्पष्टीकरण।**

***

निवेदन है कि कोविड 19 महामारी से दुनिया भर में मानव जीवन की क्षति हुई है और यह समाज के सभी वर्गों और जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली एक-से-एक अप्रत्याशित व अभूतपूर्व संकट की चुनौती के रूप में सामने आई है। ऐसी स्थिति में जब मानवता महामारी से जूझ रही थी, वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से, भारत सरकार और तेलंगाना सरकार द्वारा कई चरणों में लॉकडाउन सहित कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें दिशानिर्देशों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस पर थी।

आगे यह भी निवेदन है कि, ऐसी अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के तहत, श्री बंदी संजय कुमार, करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ने दिनांक 29.08.2018 के गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार से जारी नए राष्ट्रपति आदेश के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों के नए स्थानीय संवर्गों में विनियोजन से संबंधित तेलंगाना सरकार से जारी जी.ओ.एम.एस संख्या 317 में संशोधन की मांग को लेकर 02.01.2022 को चैतन्यपुरी, करीमनगर, तेलंगाना राज्य में स्थित अपने पार्टी कार्यालय के पास एक सार्वजनिक सड़क पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के एक विशाल जनसमूह के साथ 02.01.2022, सायं 07.30 बजे से 03.01.2022, प्रातः 05.00 बजे तक, "जागरण दीक्षा" आयोजित करने का प्रस्ताव किया था।

दिनांक 25-12-2021 के मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद के सामान्य प्रशासनिक विभाग के जीओ एमएस संख्या 327, और दिनांक 27-12-2021 के केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के जीओ एमएस संख्या 40-3/ 2020-डीएम -1 (ए) के मददेनजर श्री बंदी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य, करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को भाजपा पार्टी कार्यालय-सह-एमपी कार्यालय में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गंगादी कृष्ण रेड्डी, के माध्यम से एक लिखित नोटिस विधिवत् भेजा गया था।

दीक्षा कार्यक्रम नहीं कराने के लिए बार-बार की गई अपीलों के बावजूद, श्री बंदी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य, करीमनगर और उनके साथी आयोजक माननीय संसद सदस्य द्वारा किए गए आह्वान के अनुसरण में जागरण दीक्षा कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी करने लगे, बड़ी संख्या में समर्थक बिना मास्क पहने कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित होने लगे और उन्होंने उस स्थल से जाने से इनकार कर दिया। उस

स्थल को खतरनाक माना गया था क्योंकि वहाँ मास्क न लगाए हुए लोगों के विशाल जनसमूह के कारण बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल सकता था, जो गृह मंत्रालय और तेलंगाना सरकार से अधिदिशित कोविड विनियमों का उल्लंघन था। यह महसूस करने पर कि आयोजक कार्यक्रम शुरू कर रहे थे और स्थल पर जन समूह एकत्र होने लगा था, मैंने एसीपी, करीमनगर टाउन और श्री वी. श्रीनिवास, इंस्पेक्टर, हुज़ूराबाद पीएस, समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था एवं कुल मिलाकर जन स्वास्थ्य को बनाए रखने के मद्देनजर तेजी से बढ़ते मामलों के आलोक में कोविड के किसी भी संभावित प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य, श्री बंदी संजय कुमार से व्यक्तिगत रूप से स्थल पर उपस्थित होकर स्थिति की निगरानी करने के क्रम में बार-बार अपील करने के बावजूद, उन्होंने अपीलों को नज़रअंदाज़ कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य से नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में आने के लिए उकसाने लगे। उनके आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में आना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने तथा शांति और व्यवस्था के भंग होने की व्यापक संभावना थी। बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के प्रसार की तीव्रता को कम करने की प्रक्रिया में, पुलिस ने माननीय संसद सदस्य और उनके समर्थकों को दीक्षा कार्यक्रम को रोकने के लिए समझाने का हर संभव प्रयास किया। यह जानकर कि दीक्षा स्थल पर जनसमूह को रोकने के हमारे सभी प्रयास निष्प्रभावी थे, पुलिस ने शांति-व्यवस्था बनाए रखने और जन स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दरवाजे खुलवाने और उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का फैसला किया।

उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने की प्रक्रिया के दौरान, माननीय संसद सदस्य और उनके समर्थकों ने सहयोग नहीं किया और बदले में इसका भारी विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कर्मी घायल हुए। घायल हुए पुलिस निरीक्षक श्री वी. श्रीनिवास ने एक शिकायत दी जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 147,188, 341, 332, डीएम अधिनियम की धारा 51 (बी) और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सीआर. सं. 2/2022 के द्वारा पीएस करीमनगर-II टाउन एक मामला में दर्ज किया गया है (प्राथमिकी की प्रति संलग्न)। मामले की जांच सी.संख्या.2/डी2/सीसीआरबी/केएनआर/2022, दिनांक: 02-01-2022 द्वारा एसीपी, करीमनगर टाउन को सौंपी गई है ।

हिरासत में लिए जाने के दौरान, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का पालन किया है और उन्होंने जन सुरक्षा के लिए तनाव और अशांति को रोकने के एकमात्र इरादे से श्री बंदी संजय कुमार को सम्मान और शिष्टता के साथ गिरफ्तार किया है। मैं आगे यह भी निवेदन करता हूं कि घटना के दौरान किसी भी समय मैंने या अन्य पुलिस अधिकारियों ने माननीय संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया।

निवेदन है कि श्री बंदी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना महासचिव, लोक सभा एवं अन्य प्राधिकारियों को निर्धारित समय में दे दी गई है।

माननीय संसद सदस्य द्वारा विशेषाधिकार समिति को मामले की शिकायत करने के बाद, मैं और मेरे अधीनस्थ अधिकारी जमीनी स्तर पर वास्तविक परिस्थितियों जिनके कारण माननीय संसद सदस्य को हिरासत में लिया गया,को स्पष्ट करने के निर्देश के अनुसार माननीय समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

हम भारत के सर्वोच्च कानून निर्माताओं का अत्यधिक सम्मान करते हैं, जिनका भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान हैं। हमने जन सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अंतिम उपाय के रूप में कार्रवाई की और यह कार्रवाई कोई जानबूझकर व पूर्व नियोजित तरीके से नहीं की गई हैं। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए गहरा खेद व्यक्त करता हूं जिसके कारण करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य श्री बंदी संजय कुमार को असुविधा हुई। यह कार्रवाई केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के हमारे कर्तव्यबद्ध प्रयास से पूरी तरह अनजाने में हुई थी।

दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने के नाते जैसा कि माननीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष स्पष्ट किया गया है, मैं माननीय विशेषाधिकार समिति से विनम्र अनुरोध करते हुए यह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर दूरदर्शी दृष्टिकोण से और जनहित में विचार किया जाए और करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य, श्री बंदी संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में न्याय हित में आगे कोई कार्रवाई न किये जाने का अनुरोध करता हूं।

अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

भवदीय,

ह./-

पुलिस आयुक्त,

करीमनगर

परिशिष्ट-III

**बंदी संजय कुमार**
संसद सदस्य
लोक सभा- करीमनगर

कमरा सं., 308, तेलंगाना भवन,
1,अशोक रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन-011- 23382042, 233822045

हाउस नंबर- 2-10-1525, ज्योति नगर,
करीमनगर-505001, तेलंगाना राज्य
मोबाइल-919885289261
ई-मेल- bandisanjayindian@gmail.com

दिनांक:07-11-2019

सेवा में

माननीय अध्यक्ष,
लोक सभा,
संसद भवन,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषय : नृशंस हमले और प्रहार के लिए प्रभारी पुलिस आयुक्त यथा श्री सत्यनारायण, एडीशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस,श्री संजीव एआर डिपार्ट. कमांडेंट, नगैया एआर एसीपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यथा अंजैया (एमटीओ) और अन्य अज्ञात पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना।

---

मैं एततद्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के तहत प्रभारी पुलिस आयुक्त, एडीशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एआर डिपार्ट. कमांडेंट, एआर एसीपी, पुलिस निरीक्षक (एमटीओ) और अन्य अज्ञात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना देता हूँ।

2. अब मैं मामले के तथ्यों का विस्तार से बताना चाहता हूं। निवेदन है कि मीडिया के साथ आयोजित बैठक के दौरान तेलंगाना राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव के वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य में कोई आरटीसी नहीं होगा, सभी वर्तमान कर्मचारियों को स्व-बर्खास्त कर दिया गया, के कारण अनेक आरटीसी कामगारों की जान चली गई। इस वक्तव्य को उक्त पीड़ितों के साथ-साथ हड़ताल के अन्य प्रतिभागियों ने गंभीरता से लिया। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान का समर्थन अन्य मंत्रियों ने भी किया है। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की उक्त कार्रवाई के पीड़ित व्यक्तियों और हड़ताल के अन्य प्रतिभागियों को मानसिक पीड़ा और निराशा हुई और आरटीसी चालक नागुनुरी बाबू और अन्य को दिल का दौरा पड़ा और मानसिक पीड़ा के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अंततः नागुनुरी बाबू और 21 अन्य व्यक्तियों का निधन हो गया। इसका उनके परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे पूरी तरह से उक्त मृत कामगारों पर आश्रित थे। सभी तथ्यों को कालानुक्रमिक आधार पर निम्नवत् स्पष्ट किया गया है :-

3. इस संदर्भ में, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि तेलंगाना सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के लगभग 50 हजार कर्मचारी 5-10-2019 से हड़ताल पर हैं। उन्होंने एक ज्वाइंट एक्शन कमिटी का गठन किया है और 5-10-2019 से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं क्योंकि मुख्यमंत्री श्री के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य सरकार ने उनकी वैध मांगों पर विचार नहीं किया। टीएसआरटीसी-जेएसी के तत्वावधान में चल रही हड़ताल के दौरान आरटीसी कर्मचारियों ने एलबी नगर, हैदराबाद स्थित सरूरनगर इंडोर स्टेडियम में बैठक आयोजित की। उक्त कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए आरटीसी कर्मचारियों ने भाग लिया।

उक्त बैठक के दौरान सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के एन. बाबू नाम के एक ड्राइवर को घातक हृदय आघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तेलंगाना राज्य सरकार आरटीसी हड़ताल को कमजोर करने के लिए पुलिस मशीनरी सहित अपनी सभी मशीनरी का उपयोग कर रही है। पुलिस अत्याचारों के क्रम में आश्चर्यजनक कार्रवाई करते हुए मृतक को उनके गृह नगर ले गई और साथ ही ये पुलिसकर्मी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार पूरा करने के प्रयास कर रहे थे।

4. इस स्थिति को जानने पर, मैं, बंदी संजय कुमार और अन्य लोगों के साथ मृतक आरटीसी चालक एन. बाबू के घर पहुंचा जिसमें जेएसी के नेता, राजनीतिक नेता, आरटीसी कर्मचारी, मडिगा

(चमार) समुदाय के एक प्रमुख दलित नेता और एमआरपीएस के संस्थापक श्री मंदा कृष्ण मडिगा शामिल थे। हमने रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने की कोशिश की।

लेकिन राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस ने मनमाने तरीके से मुझे, एक संसद सदस्य (लोक सभा), को रीति-रिवाजों के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। साथ ही, जैसे ही अंतिम यात्रा शुरू हुई, करीमनगर पुलिस और अन्य जिलों के पुलिस कर्मी, जिन्हें संबंधित जुलूस को बाधित करने और मार्ग परिवर्तित करने के लिए तैनात किया गया था, ने शारीरिक बल का प्रयोग किया और जुलूस को पास के श्मशान की ओर मोड़ दिया और केवल मृतक एन. बाबू के परिवार के सदस्यों को ही उधर जाने की अनुमति दी। पुलिस कर्मियों ने बेवजह बल प्रयोग किया और मुझे निशाना बनाया। एक पुलिसकर्मी ने मेरा कॉलर पकड़ कर मेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा और अन्य पुलिस कर्मियों ने मुझे तेलुगु भाषा में गाली दी और मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है और अच्छी तरह यह जानते हुए कि मैं करीमनगर लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि हूं, मेरे संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। करीमनगर के प्रभारी पुलिस आयुक्त, करीमनगर ग्रामीण और करीमनगर शहरी क्षेत्र के पुलिसकर्मी तथा राज्य के अन्य भागों से तैनात किए गए पुलिसकर्मियों ने मुझे निशाना बनाया और भय पैदा करने के लिए मुझे शारीरिक चोटें पहुंचाईं। तेलंगाना राज्य सरकार पुलिस कर्मियों द्वारा की गई इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है क्योंकि राज्य सरकार के इशारों पर पुलिस ने एक निर्वाचित प्रतिनिधि जो आरटीसी कर्मचारियों के समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा था, पर हमला किया है और उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है और इस आंदोलन के दौरान 20 से अधिक कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है ।

आगे यह उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रों की रिपोर्टें और वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्पष्ट रूप से उपर्युक्त तथ्यों को स्थापित करते हैं और टीएसआरटीसी व जेएसी के सदस्य, राजनीतिक नेता और एमआरपीएस के श्री मंदा कृष्ण मडिगा इस पूरी घटना के साक्षी हैं।

पुलिस कर्मियों की ओर से यह कार्रवाई श्री के. चंद्रशेखर राव और उच्च पुलिस अधिकारियों के सक्रिय समर्थन से की गई है। पुलिस का यह पूरा कृत्य मानवाधिकारों का और साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। उन्होंने एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का भी उल्लंघन किया है। अतएव, इसमें शामिल सभी

पुलिस अधिकारियों को संसदीय प्रक्रिया के विशेषाधिकारों के तहत बनाए गए और परिकल्पित नियमों के अनुसार दंडित किया जाए।

5. उपर्युक्त हमलों में, मेरे बिरुद्ध पुलिस द्वारा किए गए घृणित और शारीरिक दुर्व्यवहार तथा उनके द्वारा प्रयोग की गई गाली-गलौज की भाषा ने मेरे संसदीय विशेषाधिकारों का हनन किया है।

6. इसलिए, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि प्रभारी पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण, यथा अपर पुलिस उपायुक्त श्री संजीव एआर विभाग कमांडेंट, नागैया एआर एसीपी, पुलिस निरीक्षक अर्थात अंजैया (एमटीओ) और अन्य अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन संबंधी कार्यवाही की जाए जिन्होंने मेरे संसदीय विशेषाधिकारों और प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करते हुए मुझ पर बेरहमी से हमला किया जब मैं आरटीसी ड्राइवर स्वर्गीय नगुरु बाबू के अंतिम संस्कार समारोह में भाग ले रहा था ।

धन्यवाद।

**प्रेषक:** बंदी संजय कुमार <sanjay.indian@sansad.nic.in> Mon, Jan 03, 2022 03:57 PM

**विषय:** संसद सदस्य के रूप में मेरे अधिकारों और विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिला पुलिस आयुक्त और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में ।

**प्रेषिती :** श्री ओम बिरला speakerloksabha@sansad.nic.in

**प्रति :** महासचिव, लोक सभा sg-loksabha@sansad.nic.in, SG Lok Sabha <sgchamber-ls@sansad.nic.in

माननीय अध्यक्ष महोदय,
लोक सभा,
संसद भवन ,नई दिल्ली

महोदय,

मैं, बंदी संजय कुमार, संसद सदस्य, करीमनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना, एतत् द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित निवेदन करता हूं:

निवेदन है कि मैं पार्टी कार्यक्रम के तहत करीमनगर स्थित अपने कार्यालय में कोविड मानदंडों का पालन करते हुए, सरकारी आदेश सं. 317 जो राज्य भर के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के हितों के खिलाफ है, को रद्द करने की मांग को लेकर जागरण (रातभर जागते हुए) कार्यक्रम में बैठा था। मैंने 2 जनवरी 2022 को करीमनगर में अपने संसदीय कार्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में पुलिस को सूचित किया था, तदनुरुप सायं लगभग 7.30 बजे मेरी पार्टी के कुछ नेता भी मेरे साथ मौजूद थे।

पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण शाम लगभग 7:30 बजे बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मेरे कार्यालय में आए। इंस्पेक्टर और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस आयुक्त ने मेरे कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की क्योंकि कार्यालय अंदर से बंद था। उन्होंने लोहे की ग्रिल को काटने के लिए गैस कटर खरीदे और इसके बाद पुलिस जबरन मेरे कार्यालय में प्रवेश कर गई और मुझे मेरी कमीज पकड़कर खींच लिया। मैं पुलिस आयुक्त से इन सब बातों का विरोध कर रहा था, जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे खींचने की कोशिश की।

इस बीच मेरी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस आयुक्त ने मुझे व्यक्तिगत रूप से गाली और धमकी दी और पुलिस ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया।

निवेदन है कि संसद सदस्य के रूप में मेरे कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं। पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वे मेरे अधिकारों की रक्षा करें और मेरे विशेषाधिकारों का सम्मान करें। पुलिस आयुक्त श्री सत्यनारायण, एसीपी जगित्याल, श्री प्रकाश, एसीपी करीमनगर श्री श्रीनिवास राव, इंस्पेक्टर करीमनगर, श्री लक्ष्मी बाबू इन सभी ने मुझे जबरदस्ती उठाया और पुलिस वाहन के अंदर धक्का देकर बैठा दिया और मुझे मानकोंडुर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां मुझे अवैध रूप से निरूद्ध किया गया ।

पुलिस ने मुझे गिरफ्तारी के आधार के बारे में भी नहीं बताया और न ही पुलिस स्टेशन में मेरे साथ ठीक से व्यवहार किया। मुझे सूचित किया गया कि मेरे खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। वस्तुत: ये दोनों ही मामले जो गैर जमानती हैं, बिल्कुल झूठे हैं। पुलिस कानून का समुचित पालन करने के बजाय मुझे रिमांड पर लेने के लिए अदालत के समक्ष पेश कर रही है।

निवेदन है कि उपर्युक्त अधिकारियों ने संसद सदस्य के रूप में मेरे अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से इस बात की विनती करता हूं कि वे इन अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें।

मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं–

1. श्री सत्यनारायण, पुलिस आयुक्त, करीमनगर
2. श्री श्रीनिवास राव, एसीपी, करीमनगर
3. श्री प्रकाश, एसीपी, जगित्याल
4. श्री लक्ष्मी बाबू, इंस्पेक्टर, करीमनगर पुलिस स्टेशन

धन्यवाद।

भवदीय

बंदी संजय कुमार

संसद सदस्य, करीमनगर

यह याचिका उस वक्त भेजी गई है जब मैं हिरासत में था ।

संलग्नक

घटना का वीडियो और फोटो क्लिपिंग।